

अनुक्रमणिका

खंड- I	प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस जारी करने तथा अन्य अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश
खंड- II	अतिरिक्त शाखाओं को प्राधिकार देने के लिए के दिशा-निर्देश
खंड- III	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II तथा पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एजेंटों/ फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश
खंड-IV	मौजूदा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए दिशा-निर्देश
खंड-V	परिचालनगत दिशा-निर्देश
खंड-VI	केवाइसी/ एएमएल/ सीएफटी दिशा-निर्देश
खंड-VII	लाइसेंस को वापस लेना
खंड-VIII	संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक के प्राधिकृत व्यापारियों श्रेणी-II के निदेशकों के लिए "उपयुक्त तथा योग्य व्यक्ति " मानदंड
संलग्नक I	मुद्रा परिवर्तन कार्यकलापों के लिए केवाइसी/ एएमएल/ सीएफटी दिशा-निर्देश
संलग्नक II	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 की धारा 10(1) के तहत पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र
संलग्नक III	फॉर्म आरएमसी-एफ
संलग्नक IV	एफएलएम 1
संलग्नक V	एफएलएम 2
संलग्नक VI	एफएलएम 3
संलग्नक VII	एफएलएम 4
संलग्नक VIII	एफएलएम 5
संलग्नक IX	एफएलएम 6
संलग्नक X	एफएलएम 7
संलग्नक XI	एफएलएम 8
संलग्नक XII	10,000 अमरीकी डॉलर अथवा इससे ऊपर की खरीद लेनदेनों का विवरण
संलग्नक XIII	विदेशी करेंसी नोटों/ यात्री चेकों के नकदीकरण के निर्यात आगम के में से भारत

	मे खोले गये विदेशी मुद्रा खाते का संकलन(जोड़) दर्शानेवाला विवरण।
संलग्नक XIV	वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़े खाते डाली गई राशि का विवरण
परिशिष्ट	

खंड-1

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस जारी करने तथा अन्य अनुमोदनों के लिए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत संस्थाएं हैं। प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक होते हैं। प्रतिस्पर्धा के जरिये कुशल ग्राहक सेवा सुनिश्चित करते हुए निवासियों तथा पर्यटकों को विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधाओं की सुलभता के दायरे को और अधिक बढ़ाने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के अतिरिक्त, पूर्ण मुद्रा परिवर्तक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए अधिकृत हैं। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, भारत आये निवासियों और अनिवासियों से कतिपय अनुमोदित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद तथा बिक्री के लिए अधिकृत हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II और पूर्ण मुद्रा परिवर्तक, विदेशी मुद्रा की खरीद का कारोबार करने के लिए फ्रेंचाइजीज नियुक्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा परिवर्तन का वैध लाइसेंस लिए बिना विदेशी मुद्रा परिवर्तन का कारोबार नहीं करेगा अथवा ऐसा विज्ञापन नहीं देगा कि वह विदेशी मुद्रा का कारोबार करता है। बिना वैध लाइसेंस के विदेशी मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करते हुए पाये जाने पर वह उपर्युक्त अधिनियम के तहत दंड का भागी होगा।

* टिप्पणी: पाकिस्तान और बांगलादेश की सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर कार्य कर रहे प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों (आरएमसी) तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक / प्राधिकृत व्यापार श्रेणी-II / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के फ्रेंचाइजीज, रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की पूर्वानुमति से सीमावर्ती देश की मुद्रा भी बेच सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक / प्राधिकृत व्यापार श्रेणी-II / पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के अन्य फ्रेंचाइजीज विदेशी मुद्रा नहीं बेच सकते हैं।

2. संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा-निर्देश

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तन के नये लाइसेंस जारी करने तथा उसके नवीनीकरण, शाखाओं को लाइसेंस देने, एजेंटों/ फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति के लिए अनुमोदन तथा प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) धन-शोधन निवारण (एएमएल गाइड लाइसेंस)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने (सीएफटी) संबंधी दिशा-निर्देश नीचे दिये गये हैं। ये दिशा-निर्देश संकेत मात्र हैं किंतु आवेदनपत्रों पर विचार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्र-विस्तार, आउटरीच(अनुकूल), स्थान आदि जैसे अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकता है।

(i) प्रवेश-मानदंड

- (i) आवेदक, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
(ii) पूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में स्वीकार किये जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां निम्नवत् हैं:

श्रेणी	न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां
एकल शाखा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	25 लाख रुपये
बहु-शाखा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	50 लाख रुपये

टिप्पणी: आवेदकों की, बैंकों को छोड़कर, निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना निम्नवत् की जाए:-

- (ए) स्वाधिकृत निधियां : (प्रदत्त ईक्विटी पूंजी + मुक्त आरक्षित निधियां + लाभ-हानि खाते में जमा का इति शेष) से घटाये (हानि का संचित शेष, आस्थगित राजस्व व्यय तथा अन्य अगोचर परिसंपत्तियां)
- (बी) निवल स्वाधिकृत निधियां : स्वाधिकृत निधियों से उसकी सहायक कंपनियों, उसी समूह की कंपनियों, सभी (अन्य) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों में निवेश की राशि, इसके साथ ही स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक उसकी सहायक कंपनियों के डिबेंचर्स ,बाँडों, लिये गये बकाया ऋण तथा उधार का बही मूल्य घटाएं।

(ii) प्रलेखन

भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक का कार्यालय आता हो, के विदेशी मुद्रा विभाग में **संलग्नक-II** में दिये गये फॉर्म में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदनपत्र दिया जाये ।

- (ए) कंपनी को अपना कारोबार शुरू करने तथा निगमन के प्रमाणपत्रों की एक एक प्रति ।
- (बी) मुद्रा परिवर्तन का कारोबार शुरू करने के लिए प्रावधान वाले ज्ञापन तथा बहिर्नियम अथवा कंपनी लॉ बोर्ड को दाखिल किया गया इस आशय का उपयुक्त संशोधन।
- (सी) खातों के लेखा परीक्षण की अद्यतन प्रति जिसके साथ सनदी लेखाकार का एक प्रमाणपत्र जिसमें आवेदन पत्र की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधियां प्रमाणित हों। लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा जहाँ लागू हो, कंपनी के तीन वर्ष के लाभ-हानि खाते की प्रति।
- (डी) एक मुहरबंद लिफाफे में आवेदक के बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट।
- (ई) इस आशय की एक घोषणा कि आवेदक कंपनी अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा अन्य किसी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है / लंबित नहीं है और आवेदक कंपनी अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दायर नहीं है/ लंबित नहीं है।
- (एफ) इस आशय की एक घोषणा कि कारोबार शुरू करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन मिलते ही, समय-समय पर यथा संशोधित , 27 नवंबर 2009 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.17 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं.04] द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने पर समुचित नीतिगत ढांचा लागू कर दिया जायेगा।
- (जी) वित्तीय क्षेत्र में सक्रिय सहयोगी /संबद्ध संस्थाओं जैसे कि गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि के ब्योरे।

(एच) मुद्रा परिवर्तन का व्यवसाय करने के लिए से संबंधित बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति।

(iii) अनुमोदन का आधार

(i) चूँकि अनेक संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक पहले से ही इस कार्य में लगे हुए हैं ,अतः नये लाइसेंस चुनिंदा आधार पर केवल उनको ही जारी किये जायेंगे जो कि लाइसेंस के लिए सभी अपेक्षाएं पूरी करते हों, जिनसे कार्य-क्षेत्र(आउटरिच) के दायरे में वृद्धि हो, जिन्हें स्थान विशेष लाभदायक हो जैसे कि सीमा-क्षेत्र अथवा पर्यटन केंद्र आदि।

(ii) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तन आवेदकों के लिए "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड#
यदि किसी आवेदक कंपनी/ उसके निदेशकों के विरुद्ध किसी प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कोई मामला अथवा अन्य किसी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य मामला शुरू किया गया हो / लंबित हो तो उस कंपनी को "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " नहीं माना जायेगा और पूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में उसे लाइसेंस के लिए उसके आवेदनपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(# गैर- बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II पर भी लागू है)

(iii) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के निदेशकों के लिए "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति "
मानदंड*

इस संबंध में कृपया खंड - VIII देखें।

(* गैर- बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II पर भी लागू है)

(iv) उच्चाधिकार प्राप्त समिति से मंजूरी

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस जारी करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर, इस प्रयोजन हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी से, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विचार किया जायेगा।

(v) इस संबंध में मंजूरी देने अथवा अन्यथा का भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा ।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल जाने पर, कारोबार शुरू करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में शाप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत

पंजीकरण की प्रति अथवा कोई अन्य दस्तावेजी सबूत जैसे कि किराये की रसीद, पट्टा करार की प्रति आदि जमा कर देना चाहिए।

(vii) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक को लाइसेंस जारी करने की तारीख से **छः माह** के भीतर अपना कारोबार शुरू कर लेना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी सूचना देना चाहिए।

(viii) नये संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक को अपने कार्यकलाप नीचे **खंड V तथा VI** में विनिर्दिष्ट अनुदेशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों के अनुसार करना चाहिये ।

[टिप्पणी: किसी भी शहरी सहकारी बैंक (यूसीबीएस) को पूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस जारी नहीं किया जाय

खंड।।

अतिरिक्त शाखाओं को प्राधिकार देने के लिए के दिशा-निर्देश

1. केवल उस परिस्थिति को छोड़कर जब कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व अनुमति दी गई हो, कोई संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक अपने स्थायी स्थान के अलावा अन्य किसी दूसरी जगह पर मुद्रा परिवर्तन का कारोबार नहीं करेगा। अपने स्थायी स्थान के अलावा अन्य किसी दूसरी जगह पर मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने का इच्छुक कोई संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग में , जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत कार्यालय आता हो, लिखित रूप में आवेदनपत्र दें और भारतीय रिजर्व बैंक कतिपय शर्तों पर जिन्हें कि वह उपयुक्त समझे, अतिरिक्त स्थान पर कारोबार करने की मंजूरी दे सकता है।
2. अतिरिक्त स्थान (कार्य-स्थल) के आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न किये जाएं:-
 - (ए) खातों के लेखा परीक्षण की अद्यतन प्रति जिसके साथ आवेदन पत्र की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधियों के संबंध में सांविधिक लेखाकार के एक प्रमाणपत्र की प्रति।
 - (बी) मुहरबंद लिफाफे में आवेदक के बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट।
 - (सी) इस आशय की एक घोषणा कि आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा अन्य किसी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है / लंबित नहीं है और आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दायर नहीं है/ लंबित नहीं है। किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक को, जिसके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई बड़ा मामला विचाराधीन है, कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जायेगा। प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई छोटा-मोटा मामला लंबित होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर मामले में अलग-अलग निर्णय लिया जायेगा। प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय में लंबित मामलों को गंभीर और साधारण मामले के रूप में वर्गीकृत करने का भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा। जहाँ प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय के मामलों में अधिनिर्णय हो चुका है और दंड लागू कर दिया गया

है ,ऐसे मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक अपराध के स्वरूप के आधार पर अपनी राय कायम करेगा बशर्ते कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय में कोई नया मामला शुरू नहीं कर दिया गया हो।

(डी) अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी दिशा-निर्देशों के संबंध में कंपनी की नीतिगत ढांचे की एक प्रति।

(ई) आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट।

3. महानगरों और गैर-महानगरों में संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों की शाखाओं के योग्य विभाजन करने के उद्देश्य से महानगरों में अतिरिक्त कार्यालयों के लिए आवेदन पत्रों पर तब विचार किया जाएगा जब आवेदक के कुल कार्यालयों (प्रस्तावित कार्यालयों सहित) का अनुपात 1:1 (अर्थात् आवेदक का महानगर में प्रत्येक कार्यालय के लिए एक गैर महानगर (नॉन-मेट्रोपोलिटन) कार्यालय है) है। इस प्रयोजन के लिए मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नै और कोलकाता के अतिरिक्त और तीन शहरों अर्थात् बंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद को महानगरीय केंद्रों के रूप में माना गया है। पर्यटन आकर्षण के सुदूर क्षेत्रों में शाखाओं के लिए आवेदन पत्रों को वरीयता दी जाएगी।
4. किसी अतिरिक्त शाखा में कारोबार प्रारंभ करने पहले भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दुकान और संस्था अधिनियम के तहत पंजीकरण की एक प्रति अथवा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य जैसे किराया रसीद, पट्टा करार की प्रति आदि प्रस्तुत करना चाहिए।
5. संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस जारी करने की तारीख से छः महीनों की अवधि के भीतर अपनी अतिरिक्त शाखा का परिचालन प्रारंभ करना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना चाहिए।

खंड -III

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II तथा पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एजेंटों/ फ्रेंचाइजी की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश

1. इस योजना के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -II और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को अपने विवेक के अनुसार सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार अर्थात् विदेशी मुद्रा नोटों, सिक्कों का परिवर्तन अथवा यात्री चेकों का रुपयों में परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए एजेंसी लेने / फ्रेंचाइजी करार करने के लिए अनुमति देता है।

2. फ्रेंचाइजी

किसी भी संस्था जिसके पास कारोबार करने के लिए स्थान है और रु. 10 लाख की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि है उसे फ्रेंचाइजी दी जा सकती है। फ्रेंचाइजी केवल सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार कर सकती है ।

3. फ्रेंचाइजी करार

फ्रेंचाइजी नियोक्ता के रूप में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक फ्रेंचाइजी के साथ पारस्परिक करार के जरिये करार की अवधि और कमीशन अथवा शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

एजेंसी / फ्रेंचाइजी करार में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का समावेश होना चाहिए :

(ए) फ्रेंचाइजी ने अपने कार्यालय में अपने फ्रेंचाइजी नियोक्ता के नाम, विनिमय दर तथा वे विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए ही प्राधिकृत है, इन बातों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए। विदेशी मुद्रा का रुपये में परिवर्तन करने के लिए विनिमय दर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा अपनी शाखा पर लगाये गये दैनिक विनिमय दर वही हो अथवा रुपये में दैनिक विनिमय दर के निकट हो।

- (बी) फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदी गयी विदेशी मुद्रा, खरीद की तारीख से 7 कार्य दिनों के भीतर फ्रेंचाइजर को अथवा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को, जैसा करार किया गया हो, सुपुर्द करनी चाहिए।
- (सी) फ्रेंचाइजी द्वारा लेनदेनों का उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए।
- (डी) फ्रेंचाइजी नियोक्ता द्वारा फ्रेंचाइजी का वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष निरीक्षण करना चाहिए।

4. आवेदन की प्रक्रिया

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को इस योजना के तहत एजेंटों / फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति के लिए फॉर्म आरएमसी -एफ (संलग्नक - III) में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ घोषणा पत्र लगाना होगा कि फ्रेंचाइजी का चयन करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है और ऐसी संस्थाओं ने मुद्रा परिवर्तन से संबंधित फ्रेंचाइजी करार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित विनियमावली के प्रावधानों का पालन करने का वचन दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले फ्रेंचाइजी व्यवस्था के लिए अनुमोदन दिया जाएगा। उसके बाद जब कोई नई एजेंसी / फ्रेंचाइजी करार किया जाएगा तो उसकी रिपोर्ट बाद में उसी प्रकार की पूर्वोक्त घोषणा के साथ फॉर्म आरएमसी-एफ (संलग्नक III) में रिज़र्व बैंक को भेजना होगा।

5. फ्रेंचाइजी संबंधी समुचित सावधानी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को फ्रेंचाइजियों के संबंध में सावधानी बरतते समय निम्नलिखित न्यूनतम जांच करनी चाहिए:

- फ्रेंचाइजी की मौजूदा कारोबार गतिविधियां; इस क्षेत्र में उनकी स्थिति।
- फ्रेंचाइजी का न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि।
- फ्रेंचाइजी के पक्ष में दुकान और संस्था / अन्य लागू म्युनिसिपल प्रमाणन।
- फ्रेंचाइजी के वास्तविक स्थान का सत्यापन, जहां सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार किया जाएगा।

- स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से फ्रेंचाइजी के आचरण संबंधी प्रमाणपत्र। (निगमित संस्थाओं के संबंध में ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियम तथा निगमन के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति)
- नियम लागू करनेवाली एजेंसी, यदि कोई हो, द्वारा फ्रेंचाइजी अथवा उसके निदेशकों/ भागीदारों के विरुद्ध चलाये गये / लंबित पिछले आपराधिक मामले, यदि कोई हो, संबंधी घोषणापत्र।
- फ्रेंचाइजी और उसके निदेशकों/ भागीदारों के बैंक कार्ड।
- फ्रेंचाइजी के निदेशकों/ भागीदारों और मुख्य व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स।

उपर्युक्त जांच नियमित आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार करनी चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को फ्रेंचाइजी के कार्य स्थल पर व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के अतिरिक्त उनके कार्य स्थल की पुष्टि करनेवाली यथोचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को फ्रेंचाइजी के निवल स्वाधिकृत निधि अर्थात् निरंतर आधार पर रुपये 10 लाख बनाये रखने की पुष्टि करनेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए।

6. केंद्रों का चयन

फ्रेंचाइजी नियोक्ता योजना प्रचालन के लिए केंद्रों का चयन करने हेतु स्वतंत्र है।

7. प्रशिक्षण

फ्रेंचाइजी नियोक्ताओं से अपेक्षित है कि वे योजना के परिचालन और अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में फ्रेंचाइजी को प्रशिक्षण दें।

8. रिपोर्टिंग, लेखा-परीक्षा और निरीक्षण

फ्रेंचाइजी नियोक्ता अर्थात् प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों से अपेक्षित है कि फ्रेंचाइजी द्वारा फ्रेंचाइजी नियोक्ता को नियमित आधार पर (कम से कम मासिक आधार पर) लेनदेनों के रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा छः महीनों में कम से कम एक बार फ्रेंचाइजी के सभी स्थानों की नियमित स्पाँट लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए। इस लेखा-परीक्षा में समर्थित दल शामिल करना चाहिए और फ्रेंचाइजी के अनुपालन स्तर की जांच करने के लिए "मिस्टरी ग्राहक" (ऐसे व्यक्ति जो, जिस सीमा तक कार्य-निष्पादन कर सकते हैं, उसका अनुभव और मूल्यांकन करने के लिए संभाव्य ग्राहक के रूप में कार्य करते हैं) कल्पना का उपयोग किया जाना चाहिए। फ्रेंचाइजी के बहियों के वार्षिक निरीक्षण की एक प्रणाली भी बनायी जाए। इस निरीक्षण का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि फ्रेंचाइजी द्वारा मुद्रा परिवर्तन कारोबार, करार की शर्तों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है और फ्रेंचाइजी द्वारा आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा है।

9. धन शोधन निवारक / अपने ग्राहक को जानिये / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी दिशा-निर्देश

फ्रेंचाइजी से अपेक्षित है कि वे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को लागू धन शोधन निवारक / अपने ग्राहक को जानिए/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

टिप्पणी : ऐसे किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। को फ्रेंचाइजी की नियुक्ति के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा जिसके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय/ केंद्रीय जांच ब्यूरो/ पुलिस की कोई बड़ी जांच लंबित है। यदि किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - ।। ने फ्रेंचाइजी की नियुक्ति के लिए एक-बार अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो और अनुमोदन की तारीख के बाद प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय/ केंद्रीय जांच ब्यूरो / पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। को तदनंतर फ्रेंचाइजी की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए और इससे भारतीय रिज़र्व बैंक को अविलंब अवगत कराना चाहिए। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - ।। को फ्रेंचाइजी की नियुक्ति की अनुमति देने का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिया जाएगा।

खंड -IV

मौजूदा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लाइसेंस के नवीकरण के लिए दिशा-निर्देश

1. आवेदक, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये और उसका पंजीकृत कार्यालय विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर हो।
2. निवल स्वाधिकृत निधि निम्नवत होना आवश्यक है :

श्रेणी	न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि
एकल शाखा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	रुपये 25 लाख
बहु शाखा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	रुपये 50 लाख

3. नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

- (ए) लेखा-परीक्षा की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधि की स्थिति संबंधी सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ लेखों की अंतिम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि।
- (बी) मुहरबंद लिफाफे में आवेदक के बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट।
- (सी) इस आशय का घोषणापत्र कि आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय / राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा किसी अन्य कानून लागू करने वाले प्राधिकरण के पास कोई कार्यवाही चालू / लंबित नहीं है और आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामले नहीं चल रहे हैं/ लंबित नहीं हैं ।
- (डी) कंपनी में अपने ग्राहक को जानिये/ धन शोधन निवारक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी मौजूदा नीति की रूपरेखा की एक प्रतिलिपि।

टिप्पणी :-मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लाइसेंस की समाप्ति से एक महीने पहले अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो लाइसेंस नवीनीकरण की तारीख तक अथवा आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने तक , जैसी भी स्थिति हो, लाइसेंस बना रहेगा। मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस की समाप्ति के बाद लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया जाना चाहिए।

खंड-V

परिचालनगत अनुदेश

1. विदेशी मुद्रा लाना और बाहर ले जाना

(i) विदेशी मुद्रा किसी भी सीमा तक और मुक्त रूप से भारत में लाई जा सकती है बशर्ते कि आते समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष मुद्रा घोषणा फॉर्म (सीडीएफ) में घोषित की हो। यदि विदेशी मुद्रा करेंसी नोटों अथवा यात्री चेक के रूप में 10,000/- अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक न हो और अथवा विदेशी करेंसी नोटों का मूल्य 5,000/- अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक न हो, लायी जाती है तो सीडीएफ के लिए आग्रह नहीं किया जाए।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी अथवा मुद्रा परिवर्तक से प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा को छोड़कर जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक के सामान्य अथवा विशेष अनुमोदन के तहत स्वीकार्य न हो, किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा बाहर ले जाना निषिद्ध है। परंतु उक्त उप-पैरा (i) के अनुपालन की शर्त पर अनिवासियों को, शुरु में लाई गई रकम के बराबर विदेशी मुद्रा बाहर ले जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य अनुमति है।

2. जनता से विदेशी मुद्रा की खरीद

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसीएस) / फ्रेंचाइजी निवासियों और अनिवासियों से मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक की खरीद कर सकते हैं। यदि विदेशी मुद्रा सीडीएफ फॉर्म पर घोषणा करके लाई गई है तो घोषणा फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, सीडीएफ में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य रूप से आग्रह करें।

(ii) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस), विदेशी पर्यटकों / यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पर भारतीय रुपये बेच सकते हैं और सामान्य बैंकिंग माध्यम से उनकी प्रतिपूर्ति के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।

3. नकदीकरण प्रमाणपत्र

(i) निवासियों तथा अनिवासियों से विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के तथा यात्री चेक के खरीद के मामलों में, मांगे जाने पर, प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक नकदीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं। ये प्रमाणपत्र मुद्रा परिवर्तक के पत्र-शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरों से जारी किये जाएं और उनका उचित अभिलेख रखा जाए।

(ii) जिन मामलों में नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी न किया गया हो, ग्राहकों के ध्यान में यह तथ्य लाया जाए कि केवल वैध नकदीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही अनिवासियों के पास बची हुई स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी।

4. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसीएस) और प्राधिकृत व्यापारियों से खरीद

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस) किसी भी अन्य प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस) और प्राधिकृत व्यापारियों से सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और भुनाये गये यात्री चेक खरीद सकते हैं। खरीदी गई विदेशी मुद्रा का भुगतान उसके समतुल्य रुपयों के रेखांकित आदाता चेक / मांग ड्राफ्ट/ बैंकर चेक / भुगतान आदेश द्वारा किया जाए।

5. विदेशी मुद्रा की विक्री

(I) निजी यात्राएं

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस), पात्र भारतीय नागरिक निवासियों को किसी भी देश की (नेपाल और भूटान को छोड़कर), एक या अनेक, निजी यात्रा/ यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट निर्धारित सीमा (वर्तमान में 10,000 अमरीकी डॉलर) तक विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं। इस प्रकार की निजी यात्रा के लिए यात्री को वित्तीय वर्ष के दौरान ली गई विदेशी मुद्रा की राशि के संबंध में स्व-घोषणा पत्र आधार पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सकेगी। भारत में स्थायी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को भी अपनी निजी यात्राओं के लिए यह कोटा लेने की पात्रता है बशर्ते कि आवेदक उसका उपयोग अपने वेतन, अपनी बचत आदि को वर्तमान विनियमावली के अनुसार विदेश भेजने की सुविधा का लाभ न उठा रहा हो।

(II) कारोबारी यात्राएं

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस) भारत में रहने वाले व्यक्तियों को कारोबारी यात्रा करने अथवा सम्मेलन में भाग लेने अथवा विशिष्ट प्रशिक्षण अथवा इलाज के लिए विदेश जा रहे रोगी के निर्वाह व्यय अथवा विदेश में जांच के लिए अथवा इलाज / चिकित्सीय-जांच के लिए विदेश जा रहे रोगी के साथ परिचर के रूप में जाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 की सारणी III में विनिर्दिष्ट सीमा (वर्तमान में 25,000 अमरीकी डॉलर प्रति यात्रा) तक विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं।

शर्त

- i. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सामान्यतः ऐसे दस्तावेजों का निर्देशन नहीं किया जायेगा, जिनका प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को विदेशी मुद्रा जारी करते समय सत्यापन करना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 की उप-धारा (5) की ओर आकर्षित किया जाता है।
- ii. यात्री चेक जारी करने के मामले में, यात्री को प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में चेकों पर हस्ताक्षर करना चाहिए और यात्री चेकों की प्राप्ति के लिए क्रेता की प्राप्ति सूचना का लेखा-जोखा रखा जाए।
- iii. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, यात्री द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान ली गयी विदेशी मुद्रा की राशि के संबंध में दिये गये घोषणापत्र के आधार पर यात्रा प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं।
- iv. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक विदेश यात्रा (निजी यात्रा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए की गयी यात्रा) के लिए बेची गयी विदेशी मुद्रा के संबंध में रु.50000/- (रुपये पचास हजार केवल) तक नकदी भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। बेची गयी विदेशी मुद्रा की राशि रु.50000/-(रुपये पचास हजार) से अधिक होने पर केवल आवेदक के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक अथवा आवेदक की यात्रा प्रायोजित करनेवाली फर्म / कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक अथवा बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाए। इस प्रयोजन के लिए एक तो किसी एकल आहरण अथवा एक से अधिक आहरण को एकल यात्रा के रूप में माना जाए, जिसके लिए आहरित विदेशी मुद्रा की कीमत रु.50000/-(रुपये पचास हजार) से अधिक होने पर उसका भुगतान चेक / बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट द्वारा किया जाए। प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक रुपयों में / रेखांकित चेक/ बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट के जरिये किये गये भुगतान के अतिरिक्त, विदेश यात्रा (निजी

यात्रा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए की गयी यात्रा) के लिए डेबिट कार्डों/ क्रेडिट कार्डों/ प्रीपेड कार्डों के जरिये किये गये भुगतान भी स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते - (i) अपने ग्राहक को जानिये / धन शोधन निवारक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया हो (ii) बची गयी विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा में जारी किये गये यात्री चेकों की राशि बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं (क्रेडिट/ प्रीपेड कार्ड्स) के भीतर हो, (iii) विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा यात्री चेक का खरीददार और क्रेडिट/ डेबिट/ प्रीपेड कार्ड धारक एक ही व्यक्ति हो।

v. विदेशी मुद्रा नोटों और सिक्कों की बिक्री विदेशी मुद्रा की समग्र पात्रता के भीतर होनी चाहिए जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यात्री की यात्रा के देश के लिए समय-समय पर निर्धारित की गई है।

6. भारतीय मुद्रा के पुनः परिवर्तन के बदले बिक्री

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, भारत से प्रस्थान करते समय अनिवासियों के पास बची हुई भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में पुनः बदल सकते हैं बशर्ते कि वैध नकदीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो।

टिप्पणी (1): यह सुनिश्चित करने के बाद कि अनिवासी व्यक्ति अगले सात दिन में प्रस्थान करने वाला है और वह व्यक्ति नकदीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तथा इसका उसके पास उचित कारण है, प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अपने विवेक से अनिवासियों व्यक्तियों के पास बची हुई भारतीय मुद्रा रु.10,000 तक की राशि विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं।

टिप्पणी (2): प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II निम्नलिखित दस्तावेजों जैसे एटीएम रसीदों के आधार पर विदेशी पर्यटकों (अनिवासी भारतीय नहीं) को रु.50,000 तक की भारतीय मुद्रा को पुनः परिवर्तन (विदेशी मुद्रा में) की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

- वैध पारपत्र और वीज़ा
- 7 दिनों के भीतर प्रस्थान के लिए कन्फर्म टिकट
- एटीएम पर्ची मूल रूप में (मूल डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के साथ सत्यापन के लिए)

7. कैश मेमो

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक से यदि मांगा जाता है तो वे अपने कार्यालय के पत्र-शीर्ष पर विदेशी मुद्रा क्रेता यात्री को केश मेमो जारी कर सकते हैं। वह केश मेमो देश छोड़ते वक्त उत्प्रवासन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है।

8. विनिमय दर

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, विदेशी मुद्रा नोटों और यात्री चेकों का बाज़ार की स्थिति तथा चालू बाज़ार दरों द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर लेनदेन कर सकते हैं।

9. विनिमय दर चार्ट का प्रदर्शन

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, पब्लिक काउंटर के निकट प्रमुख स्थानों पर चार्ट लगायेंगे, जिसमें सभी प्रमुख देशों के लिए विदेशी मुद्रा नोटों और यात्री चेकों की खरीद /बिक्री की दरें दी गई हो तथा किसी दिन के लिए कार्ड दर अधिक से अधिक पूर्वाहन 10.30 बजे तक अद्यतन किया गया हो ।

10. विदेशी मुद्रा शेष

i. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को अपने पास यथोचित मात्रा में विदेशी मुद्रा शेष रखना चाहिये और मुद्रा के उतार-चढ़ाव की सट्टेबाजी को ध्यान में रखते हुए निष्क्रिय शेष रखने से बचना चाहिये।

ii. आरएमसी / फ्रेंचाइजी, खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक, प्राधिकृत व्यापारी अथवा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के पास 7 कार्य-दिनों के भीतर जमा कर देंगे।

iii. प्राधिकृत व्यापारी, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक और आरएमसी के बीच लेनदेन का भुगतान रेखांकित चेक/ मांग ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। किसी भी हालत में नकद भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

11. विदेशी मुद्रा शेष की पुनः पूर्ति करना (पुनर्भरण)

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अपनी सामान्य कारोबार की जरूरतों के अनुसार दूसरे प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक /भारत में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों से आदाता खाता रेखांकित चेक/मांग ड्राफ्ट द्वारा रुपये में भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) यदि प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक इस तरीके से अपने स्टॉक का पुनर्भरण नहीं कर सकते हैं तो भारत में विदेशी मुद्रा आयात करने की अनुमति के लिए प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को आवेदनपत्र दें। जिस नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से आवेदनपत्र दिया जाता है, उसके माध्यम से ही आयात किया जाए।

12. अतिरिक्त विदेशी करेंसी नोटों/ यात्री चेकों का निर्यात / निपटान

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक विदेशी मुद्रा के नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के माध्यम से मूल्य की उगाही के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा नोट / भुनाये गये यात्री चेकों को किसी समुद्रपारीय बैंक को निर्यात कर सकते हैं। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, अतिरिक्त विदेशी मुद्रा, निजी मुद्रा परिवर्तकों को भी निर्यात कर सकते हैं बशर्ते कि वसूली योग्य मूल्य पहले ही किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के नास्ट्रो खाते में जमा कर दिया गया हो अथवा निर्यात किये जानेवाले विदेशी मुद्रा नोट / सिक्कों के संपूर्ण मूल्य के लिए किसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा बैंक गारंटी जारी की गई हो।

13. जाली विदेशी करेंसी नोटों को बड़े खाते डालना

खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोटों के जाली पाये जाने पर, प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, अपनी रकम की वसूली के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने के पश्चात, अपने शीर्ष प्रबंध के अनुमोदन से 2000 अमरीकी डॉलर तक प्रति वर्ष बड़े खाते में डाल सकते हैं। बड़े खाते में डालने की रकम इससे अधिक होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

14. मुद्रा परिवर्तन कारोबार के लिए रजिस्टर और लेखा बहियां

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अपने मुद्रा परिवर्तन लेनदेनों के संबंध में निम्नलिखित रजिस्टर रखेंगे :

(ए) फॉर्म एफएलएम 1 में दैनिक सारांश और तुलन बही (विदेशी करेंसी नोट/ सिक्के)(संलग्नक -IV)।

(बी) फॉर्म एफएलएम 2 में दैनिक सारांश और तुलन बही (यात्री चेक) (संलग्नक- V)।

(सी) फॉर्म एफएलएम 3 में जनता से विदेशी करेंसी की खरीद का रजिस्टर (संलग्नक- VI)।

(डी) फॉर्म एफएलएम 4 में प्राधिकृत व्यापारियों और प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से खरीदे गये विदेशी करेंसी नोट / सिक्कों का रजिस्टर (संलग्नक- VII)।

(ई) फॉर्म एफएलएम 5 में जनता को विदेशी करेंसी नोटों / सिक्के और विदेशी करेंसी यात्री चेकों की बिक्री का रजिस्टर (संलग्नक- VIII)।

(एफ) फॉर्म एफएलएम 6 में प्राधिकृत व्यापारियों / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / समुद्रपारीय बैंकों को विदेशी करेंसी नोटों / सिक्कों की बिक्री का रजिस्टर (संलग्नक- IX)।

(जी) फॉर्म एफएलएम 7 में प्राधिकृत व्यापारियों / प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को सुपुर्द / निर्यात किये गये यात्री चेकों का रजिस्टर (संलग्नक- X)।

ii. सभी रजिस्टर और बहियों को अद्यतन रखा जाए, उसकी दुतरफा जांच की जाए और शेष का सत्यापन प्रतिदिन किया जाए।

iii. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक के मुद्रा परिवर्तन कारोबार से भिन्न लेनदेन को मुद्रा परिवर्तन के लेनदेन के साथ न मिलाया जाए। दूसरे शब्दों में, रजिस्टर और लेखा बहियों से मुद्रा परिवर्तन कारोबार से संबंधित लेनदेन का स्पष्ट रूप से मिलान किया जाना चाहिए।

iv. यदि प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक एक से अधिक स्थानों पर कारोबार करता है तो प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखाना चाहिए।

टिप्पणी : विदेशी करेंसियों का अंतर-शाखा अंतरण का स्टॉक अंतरण के रूप में लेखांकित किया जाएगा और न कि बिक्री के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

15. भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरणी का प्रस्तुतीकरण

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, अपने सभी कार्यालयों का विदेशी मुद्रा नोटों की खरीद और बिक्री संबंधी समेकित विवरण फॉर्म **एफएलएम 8 (संलग्नक- XI)** में भारतीय रिज़र्व बैंक के उस कार्यालय को, जिसने लाइसेंस जारी किया हो, इस प्रकार भेजें कि वह संबंधित माह से अगले माह की 10 तारीख तक अवश्य मिल जाए।

ii. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, संलग्न फॉर्मेट के **संलग्नक- XII** में प्रति लेनदेन 10,000 (अथवा उसके समतुल्य) अमरीकी डॉलर और उससे अधिक की प्राप्ति/ खरीद का ब्योरा देते हुए मासिक विवरण विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को महीने की समाप्ति पर आगामी महीने की 10 तारीख तक अवश्य प्रस्तुत करें। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। अपने विवरण में अपने फ्रेंचाइजी के लेनदेन को शामिल करें।

iii. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, **संलग्नक- XIII** में फॉर्मेट के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक के पास उनके नाम में भारत में रखे गये विदेशी मुद्रा लेखों संबंधी तिमाही विवरण विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें।

iv. समस्त प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा, **संलग्नक- XIV** में दिये गये फॉर्मेट के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गयी राशि के ब्योरे देते हुए, लाइसेंस देने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आगामी माह के भीतर एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाए।

16. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के लेनदेन का निरीक्षण

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 12 (1) भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी को प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों की बहियों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने का इस संबंध में विशेष रूप से अधिकार प्रदान करती है। प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, निरीक्षण करते समय निरीक्षण अधिकारियों को सभी प्रकार की सहायता एवं सहयोग करें। कोई लेखा बही अथवा अन्य दस्तावेज अथवा कोई विवरण अथवा जानकारी न दे पाना अथवा मुद्रा परिवर्तन लेनदेन के संबंध में निरीक्षण अधिकारी के किसी प्रश्न का जवाब न देना, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

17. समवर्ती लेखा परीक्षा

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अपने लेनदेनों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रणाली लागू करें।

(ii) सभी एकल शाखा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक जिनका कुल पण्यवर्त (टर्न ओवर) प्रतिमाह 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक अथवा उसके समतुल्य है और बहुविध शाखाओं वाले प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक मासिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू करें। एकल शाखा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक जिनका कुल पण्यवर्त प्रतिमाह 100,000 अमरीकी डॉलर से कम अथवा उसके समतुल्य है वे तिमाही लेखा परीक्षा प्रणाली लागू करें।

(iii) समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति / उनका चयन प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। समवर्ती लेखा परीक्षक प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के सभी लेनदेनों की जांच करे और सुनिश्चित करें कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का पालन किया जाता है। सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रमाणित करना होगा कि समवर्ती लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संतोषजनक कार्य कर रही है।

18. अस्थायी मुद्रा परिवर्तन सुविधाएं

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक केवल लाइसेंस में उल्लिखित स्थानों अथवा विशिष्ट रूप से उल्लिखित स्थानों पर ही मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत हैं। यदि किसी विशेष मौके पर अस्थायी रूप से मुद्रा परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने की इच्छा जाहिर की जाती है तो उसके लिए विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करना होगा। आवेदनपत्र में पूरे ब्योरे जैसे, अवधि जिसमें विनिमय काउंटर लगाया जाएगा, प्रत्याशित कारोबार की मात्रा, लेनदेन के लेखाकरण का तरीका, मुद्रा परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने लिए स्थान उपलब्ध कराने का आयोजकों से प्राप्त पत्र, आदि प्रस्तुत करना होगा।

19. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा विदेशी मुद्रा खाता खोलना

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग के अनुमोदन से निम्नलिखित शर्तों पर भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलना की अनुमति दी जा सकती है :-

- (i) किसी विशिष्ट केंद्र पर केवल एक खाते को अनुमति दी जा सकती है।
- (ii) विदेशी करेंसी नोटों/ विशिष्ट बैंक के जरिये निर्यातित भुनाये गये यात्री चेकों का मूल्य ही खाते में जमा किया जा सकता है।
- (iii) खातों में शेष राशि का उपयोग केवल निम्नलिखित के कारण देयताओं के निपटान के लिए ही किया जाएगा -
 - (ए) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तको द्वारा बेचे गये यात्री चेक और
 - (बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों से प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा प्राप्त विदेशी करेंसी नोट।
- (iv) इस खाते में कोई निक्रिय शेष नहीं रखा जाएगा।

20. तुलन पत्र प्रस्तुत करना और निवल स्वाधिकृत निधि बनाये रखना

सभी प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने निवल स्वाधिकृत निधि के सत्यापन के प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपना वार्षिक लेखा परीक्षण किया गया तुलन पत्र, सांविधिक लेखा परीक्षकों से तुलन पत्र की तारीख तक निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करें। चूंकि प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से यह अपेक्षित है कि वे निरंतरता के आधार पर न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि बनाये रखें, अतः उनसे यह अपेक्षित है कि यदि उनका निवल स्वाधिकृत निधि न्यूनतम स्तर से कम होता है तो निवल स्वाधिकृत निधि न्यूनतम आवश्यक स्तर तक लाने के लिए ब्योरेवार समयबद्ध योजना का उल्लेख करते हुए इससे भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल अवगत कराएं।

21. करेंसी फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स मार्केट में पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएमसीसी) और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-॥ (प्रा.व्या.श्रेणी-॥) द्वारा सहभागिता

पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएमसीसी) और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-॥[जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी), स्थानीय क्षेत्रीय बैंक (एलएबी), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) नहीं है], जिनकी न्यूनतम निवल मालियत रु.5 करोड़ है, वे अपने अंडरलायिंग विदेशी मुद्रा एक्सपोज़रों की हेजिंग के लिए केवल ग्राहक के रूप में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यताप्राप्त, विनिमय गृहों के पदनामित करेंसी फ्यूचर्स तथा करेंसी ऑप्शन्स में सहभागी हो सकते हैं। पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएमसीसी) और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-॥ जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी), स्थानीय क्षेत्रीय बैंक (एलएबी), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, वे इस संबंध में रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों द्वारा जारी अनुदेशों का पालन कर सकते हैं।

खंड VI

अपने ग्राहक को जानिये((केवाईसी)/ धन शोधन निवारक(एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) करने संबंधी दिशा-निर्देश

मुद्रा परिवर्तन कार्यकलापों के संबध में अपने ग्राहक को जानिये/ धन शोधन निवारक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश **संलग्नक -I** में दिये गये हैं।

खंड VII

लाइसेंस समाप्त करना

यदि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि (ए) ऐसा करना लोकहित में है अथवा (बी) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक को जिस शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया था उस शर्त का अनुपालन करने में वह असफल रहा है अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के किसी प्रावधान का अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निर्देश अथवा आदेश का उल्लंघन किया है तो भारतीय रिज़र्व बैंक प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक को प्रदान किया गया लाइसेंस समाप्त करने का अधिकार आरक्षित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक किसी सांविधिक अथवा विनियामक प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए किसी कार्यालय को दिया गया अनुमोदन समाप्त करने का अधिकार आरक्षित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी समय पर मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस की मौजूदा शर्तों में परिवर्तित अथवा समाप्त कर सकता है अथवा नयी शर्तें लगा सकता है।

खंड VIII

[खंड I, पैराग्राफ 2 (iii) (iii) देखें]

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तन निदेशकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड

(ए) बोर्ड पर निदेशक नियुक्त करने/ निदेशक के पद पर बने रहने की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ गैर-बैंक के प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के बोर्ड को एक ऐसी वांछनीय प्रक्रिया शुरू करनी चाहिये जो कि शैक्षिक योग्यता, विशेषज्ञता, पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड, ईमानदारी और अन्य "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड पर आधारित हो। ईमानदारी और उपयुक्तता निर्धारण के लिए आपराधिक रिकॉर्ड , यदि कोई हो, वित्तीय हैसियत, व्यक्तिगत कर्जे की वसूली के लिए प्रारंभ की गई कोई सिविल कार्रवाई, किसी व्यावसायिक निकाय में प्रवेश अथवा उससे निष्कासन, किसी नियंत्रक अथवा ऐसे ही किसी निकाय द्वारा लगाया गया प्रतिबंध और पहले का कोई आपत्तिजनक कारोबारी चलन आदि पर विचार किया जाना चाहिये। निदेशक मंडल को स्व-घोषणा, बाजार-रिपोर्टों का सत्यापन आदि जानकारी मंगाकर "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " की हैसियत का निर्धारण करना चाहिए। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II को प्रस्तावित / मौजूदा निदेशकों से इस प्रयोजन हेतु आवश्यक जानकारी इसके अंत में दिये गये फॉर्मेट में प्राप्त कर लेना चाहिये।

(बी) नियुक्ति/ नियुक्ति के नवीनीकरण के समय संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II द्वारा एक ऐसी वांछनीय प्रक्रिया शुरू कर लेनी चाहिये।

(सी) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के संचालक मंडलों को घोषणाओं की छानबीन करने के लिए नामांकन समितियां गठित कर लेनी चाहिये।

(डी) नामांकन समितियों को हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर उनकी स्वीकार्यता अथवा अन्यथा निश्चित करनी चाहिये और जहाँ जरूरी हो, निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

(ई) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II- को चाहिए कि वे वार्षिक आधार पर 31 मार्च को इस आशय की एक साधारण घोषणा प्राप्त कर लें कि पूर्व में

उपलब्ध करवायी गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं है और जहाँ कोई परिवर्तन है, निदेशकों द्वारा अपेक्षित ब्योरे तत्काल प्रस्तुत किये जाते हैं।

(एफ) इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी की आयु 70 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए और न ही उसे संसद सदस्य/ विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए।

(जी) वर्ष के दौरान निदेशकों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग को सूचित किया जाये।

(एच) किसी आवेदक, जिसके/ जिनके मूल संगठन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया गया है/ प्राधिकृत किया गया है, के कार्यकलापों पर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त किये जायेंगे।

प्रोफार्मा

नये निदेशकों / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तन निदेशकों / गैर- बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के संबंध में जानकारी

1. नाम
2. पदनाम
3. राष्ट्रीयता
4. आयु
5. कार्य-स्थल का पता
6. आवासीय पता
7. शैक्षिक/ व्यावसायिक अर्हताएं
8. व्यवसाय की व्यवस्था अथवा योग्यता
9. अन्य कंपनियों के नाम जिनमें यह व्यक्ति अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक / निदेशक मुख्य कार्यपालक के पद पर रहा है
10. (i) क्या प्रायोजक है, किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II का अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक है ?
(ii) यदि हाँ, तो उस कंपनी का / कंपनियों के नाम
11. (i) क्या किसी आर्थिक अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप में/ अथवा साझेदार के तौर पर/ किसी कंपनी/

फर्म में निदेशक के रूप में कोई अभियोजन चला/
सजा हुई है ?

(ii) यदि हाँ, तो उसके ब्योरे

12. मुद्रा परिवर्तक कारोबार का अनुभव(वर्षों में)

13. कंपनी में ईक्विटी शेयरधारिता

शेयरों की संख्या

अंकित मूल्य

कंपनी की पूंजी में ईक्विटी शेयरों का प्रतिशत

हस्ताक्षर : नाम :

दिनांक : पदनाम :

स्थान : (मुख्य कार्यपालक अधिकारी)
कंपनी :

भाग ए

मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के लिए अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी दिशा-निर्देश

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों का दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

1. प्रस्तावना

धन शोधन का अपराध, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 3 में "जो कोई अपराध की प्रक्रिया के साथ जुड़ी किसी क्रियाविधि अथवा गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शामिल होने का प्रयास करता है अथवा जानबूझकर सहायता करता है अथवा जानबूझकर कोई पार्टी है अथवा वास्तविक रूप से शामिल है और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रक्षेपित करता है वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा" के रूप में परिभाषित किया गया है। धन शोधन ऐसी प्रक्रिया कही जा सकती है जिसमें मुद्रा अथवा अन्य परिसंपत्तियां अपराध के आगम के रूप में प्राप्त की गयी हैं, जो "बेजमानती मुद्रा " के लिए विनिमय की जाती है अथवा उनके आपराधिक मूल से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है ऐसी अन्य परिसंपत्तियां हैं ।

धन शोधन अपराध के तीन चरण हैं जिसके दौरान अपराधकर्ताओं द्वारा बहुत से लेनदेन किये जा सकते हैं, जो आपराधिक गतिविधि से संस्था को सावधान कर सकते हैं।

- **नियोजन** - अवैध गतिविधि से प्राप्त नकद राशि का वास्तविक निपटान ।
- **लेयरिंग** - लेखा-परीक्षा जांच के दौरान छद्मवेष धारण करने और गुमनाम होने के लिए इस प्रकार किये गये वित्तीय लेनदेन के जटिल स्तर निर्माण करते हुए अपने स्रोतों से अवैध राशि अलग करना ।
- **समाकलन** - आपराधिक रूप से प्राप्त संपत्ति को आभासी वैधता देना । यदि लेयरिंग प्रक्रिया सफल होती है तो समाकलन योजना से आपराधिक रूप से प्राप्त राशि अर्थव्यवस्था में इस प्रकार फिर से लायी जाती है कि वे सामान्य व्यवसाय निधि के रूप में दर्शाते हुए वित्तीय प्रणाली में पुनः प्रवेश करते हैं ।

2. उद्देश्य

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित करने का उद्देश्य प्राधिकृत व्यक्तियों (अब इसके बाद प्राधिकृत व्यक्तियों के रूप में उल्लिखित) द्वारा आपराधिक घटकों से काले धन शोधन अथवा आतंकवाद वित्तपोषण गतिविधियों के लिए जानबूझकर अथवा अनजाने में अपनायी जानेवाली विदेशी मुद्रा नोटों / यात्री चेकों की खरीद और /अथवा बिक्री की पद्धति को रोकना है । अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) क्रियाविधि से प्राधिकृत व्यक्ति अपने ग्राहकों तथा उनके वित्तीय व्यवहारों को बेहतर जान/समझ सकेंगे, जिससे वे अपना जोखिम प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से कर सकेंगे ।

3. ग्राहक की परिभाषा

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) नीति के प्रयोजन के लिए ग्राहक को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :

- कोई व्यक्ति जो कभी-कभी / नियमित लेनदेन करता है ;
- कोई संस्था जो प्राधिकृत व्यक्ति के साथ कारोबारी संबंध रखती है ;
- कोई एक जिसकी ओर से लेनदेन किया जाता है (अर्थात् हिताधिकारी स्वामी)

[भारत सरकार की 12 फरवरी 2010 की अधिसूचना- धन शोधन निवारण नियमावली के नियम 9, उप-नियम (1ए) के आलोक में 'हिताधिकारी स्वामी' का तात्पर्य उस आदमी से है जो किसी ग्राहक या कोई व्यक्ति जिसकी ओर से लेनदेन किये जाते हैं, का अंततः स्वामी और नियंत्रक है और उसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो विधिक व्यक्ति पर अंतिम रूप से प्रभावी नियंत्रण रखता है]

4. दिशा-निर्देश

4.1 सामान्य

प्राधिकृत व्यक्तियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लेनदेन करते समय ग्राहकों से जमा की गयी जानकारी गोपनीय रखी जानी है और उसके ब्योरे प्रति बिक्री अथवा उसके जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यक्त नहीं किये जाने हैं । अतः प्राधिकृत व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक से मांगी गयी जानकारी ज्ञात जोखिम से संबंधित है, अनुचित नहीं है और इस संबंध में

जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार है। जहाँ कहीं आवश्यक हो ग्राहक से अपेक्षित कोई अन्य जानकारी उसकी सहमति से अलग से माँगी जानी चाहिए।

4.2 अपने ग्राहक को जानिये नीति

प्राधिकृत व्यक्तियों को निम्नलिखित चार घटकों को ध्यान में रखते हुए अपनी "अपने ग्राहक को जानिये" नीति बनानी चाहिए :

- ए) ग्राहक स्वीकृति नीति;
- बी) ग्राहक पहचान प्रक्रिया;
- सी) लेनदेनों पर निगरानी
- डी) जोखिम प्रबंधन

4.3 ग्राहक स्वीकृति नीति (सीएपी)

ए) प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति को ग्राहकों की स्वीकृति के लिए सुनिश्चित मापदंड निर्धारित करते हुए एक स्पष्ट ग्राहक स्वीकृति नीति विकसित करनी चाहिए। ग्राहक स्वीकृति नीति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राधिकृत व्यक्ति के साथ ग्राहक के संबंध के निम्नलिखित पहलुओं पर सुनिश्चित दिशा-निर्देश दिये गये हों :

(i) अज्ञातनाम अथवा काल्पनिक/बेनामी नाम (नामों) से कोई लेनदेन नहीं किया जाता है।

[भारत सरकार की 16 जून 2010 की अधिसूचना -नियम 9, उप-नियम (1सी) के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे अज्ञात या काल्पनिक नामों या अन्य व्यक्तियों को लेनदेनों की अनुमति न दें जिनकी पहचान प्रकट न की गयी हो या जिनकी पहचान प्रमाणित/सत्यापित न की जा सकती हो।]

(ii) जोखिम अवधारणा के मापदंड, व्यवसाय गतिविधि का स्वरूप, ग्राहक और उसके मुवक्किल का स्थान, भुगतान का तरीका, टर्नओवर की मात्रा, सामाजिक और वित्तीय स्थिति, आदि के अनुसार स्पष्ट रूप से परिभाषित किये गये हैं, जिससे ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम में वर्गीकृत किया जा सकें (प्राधिकृत व्यक्ति कोई यथोचित नामपद्धति अर्थात् स्तर I, स्तर II और स्तर III पसंद कर सकते हैं)। ऐसे ग्राहक, अर्थात् पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (पीडपीएस) जिनके लिए उच्च स्तर की मॉनीटरिंग की आवश्यकता है, अधिक उच्चतर श्रेणी में भी वर्गीकृत किये जा सकते हैं।

(iii) आवश्यक कागजात और सौंपी गयी जोखिम और धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 और समय समय पर यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2009, धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूप और लागत के अभिलेखों का रखरखाव,

रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियम, 2005 की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित ग्राहकों के विभिन्न श्रेणियों के संबंध में प्राप्त की जानेवाली अन्य जानकारी तथा इसके साथ-साथ समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेश/दिशा-निर्देश ।

(iv) जिन मामलों में प्राधिकृत व्यक्ति यथोचित ग्राहक सावधानी उपाय लागू नहीं कर सकता है अर्थात् प्राधिकृत व्यक्ति पहचान सत्यापित नहीं कर सकता है और / अथवा ग्राहक के असहकार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किये गये आँकड़े/जानकारी की अविश्वसनीयता के कारण जोखिम वर्गीकरण के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सकता है ,ऐसे मामलों में लेनदेन नहीं की जानी चाहिए । तथापि, यह आवश्यक है कि ग्राहक को होनेवाली अनावश्यक परेशानी टालने के लिए यथोचित नीति बनायी जाए ।ऐसी स्थितियों/मामलों में जहाँ प्राधिकृत व्यक्ति को विश्वास हो कि वह ग्राहक (व्यक्ति/बिजिनेस इंटिटी)की सच्ची पहचान से संतुष्ट नहीं हो सकता है, वहां वह तत्संबंध में वित्तीय आसूचना एकक-भारत (फाइयू-आइएनडी) के पास एसटीआर फाइल करें ।

(v) जिस स्थिति में ग्राहक को दूसरी व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है उस स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, लाभधिकारी स्वामी की पहचान की जानी चाहिए और उसकी पहचान के सत्यापन के लिए सभी संभव कदम उठाये जाने चाहिए।

बी) प्राधिकृत व्यक्तियों को जब कारोबारी संबंध स्थापित होते हैं तब जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक ग्राहक का प्रोफाइल बनाना चाहिए । ग्राहक प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, उसके निधियों के स्रोत, सामाजिक /वित्तीय स्थिति, कारोबारी गतिविधि का स्वरूप, उसके मुवक्किल का व्यवसाय और उसके स्थान संबंधी जानकारी निहित होनी चाहिए । यथोचित सावधानी का स्वरूप और सीमा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सौंपी गयी जोखिम पर आधारित होंगी । तथापि, ग्राहक प्रोफाइल तैयार करते समय प्राधिकृत व्यक्तियों ने ग्राहक से केवल वहीं जानकारी मांगने पर ध्यान देना चाहिए जो जोखिम की श्रेणी से संबंधित है । ग्राहक प्रोफाइल एक गोपनीय दस्तावेज है और उसमें निहित ब्योरे आदान-प्रदान अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यक्त नहीं किये जाने चाहिए ।

सी) जोखिम वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्तिविशेष (उच्च निवल मालियत से अन्य) और संस्थाएं, जिनकी पहचान और संपत्ति के स्रोत आसानी से जाने जा सकते हैं और सब मिलाकर जिनके द्वारा किये गये लेनदेन जात प्रोफाइल के अनुरूप हैं , उन्हें निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाए । ऐसे ग्राहक, जो औसतन जोखिम से उच्चतर जोखिमवाले प्रतीत होते हैं, उन्हें ग्राहक की पृष्ठभूमि, गतिविधि का स्वरूप और स्थान, मूल देश,निधियों के स्रोत और उसके मुवक्किल के प्रोफाइल, आदि के आधार पर मध्यम अथवा उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाए । प्राधिकृत व्यक्तियों को जोखिम निर्धारण पर आधारित वृद्धिगत किये गये यथोचित सावधानी के उपाय लागू करने चाहिए, जिसके लिए उच्चतर जोखिम ग्राहकों , विशेषतः जिनके निधियों के स्रोत ही स्पष्ट नहीं

हैं, के संबंध में गहन यथोचित सावधानी की आवश्यकता होगी। वृद्धिदंगत की गयी अपेक्षित यथोचित सावधानीवाले ग्राहकों के उदाहरणों में (ए) अनिवासी ग्राहक; (बी) ऐसे देशों के ग्राहक जो वित्तीय कार्रवाई कृतीदल मानक लागू नहीं करते हैं अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं; (सी) उच्च निवल मालियत व्यक्तिविशेष; (डी) ट्रस्ट, धर्मादाय संस्था, गैर सरकारी संगठन और दान प्राप्तकर्ता संगठन; (ई) नजदीकी परिवार शेरधारिता अथवा लाभकारी स्वामी (एफ) निष्क्रिय भागीदार होनेवाले फर्मस्; (जी) राजनयिक (पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन) (पीईपी);(एच) सामने न होनेवाले ग्राहक; और (आई) उपलब्ध आम जानकारी के अनुसार सन्दिग्ध प्रतिष्ठा वाले ग्राहक, आदि शामिल हैं। तथापि, युनाइटेड नेशन्स अथवा उसकी एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित एनपीओएस/ गैर सरकारी संगठन ही निम्न जोखिम ग्राहक के रूप में वर्गीकृत किये जाएं।

(डी) यह बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकृति नीति अपनाना तथा उसका कार्यान्वयन करना अत्यंत नियामक नहीं होना चाहिए और आम जनता को मुद्रा परिवर्तन संबंधी सेवाओं से नकारा नहीं जाना चाहिए।

4.4 ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)

ए) प्राधिकृत व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में विभिन्न स्तरों पर अर्थात् कारोबारी संबंध स्थापित करते समय; वित्तीय लेनदेन करते समय अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को पूर्व में प्राप्त ग्राहक पहचान संबंधी आंकड़ों की प्रामाणिकता/यथातथ्यता अथवा पर्याप्तता के बारे में संदेह है तो ग्राहक पहचान प्रक्रिया स्पष्ट रूप से तैयार की जानी चाहिए। ग्राहक पहचान का अर्थ ग्राहक को पहचानना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेज, आंकड़े अथवा जानकारी का उपयोग करते हुए उनकी पहचान सत्यापित करना। प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक नये ग्राहक की पहचान स्थापित करने, उनकी संतुष्टि होने तक पर्याप्त आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है भले ही संबंध प्रासंगिक अथवा कारोबारी हो, और संबंधों का अभिप्रेत स्वरूप का प्रयोजन हो। संतुष्टि होने का अर्थ है कि प्राधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करा सकें कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर यथोचित सावधानी बरती गयी थी। इस प्रकार जोखिम आधारित दृष्टिकोण प्राधिकृत व्यक्तियों को असमानुपातिक लागत और ग्राहकों के लिए बोझिल व्यवस्था टालने के लिए आवश्यक है।

जोखिम बोध के अतिरिक्त, अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों का स्वरूप ग्राहक (व्यक्तिगत, कंपनी, आदि) के प्रकार पर भी निर्भर होगा। ऐसे ग्राहकों के लिए जो साधारण व्यक्ति है, प्राधिकृत व्यक्तियों को ग्राहक की पहचान और उसका पता / स्थान का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त पहचान दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए। ऐसे ग्राहकों के लिए जो विधिक व्यक्तिविशेष अथवा संस्थाएं हैं, प्राधिकृत व्यक्ति को (i) यथोचित और संबंधित दस्तावेजों के जरिये विधिक व्यक्ति/संस्था की विधिक स्थिति सत्यापित करनी चाहिए; (ii) विधिक व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करनेवाला कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है तथा उस व्यक्ति की पहचान सत्यापित करनी चाहिए; और (iii) ग्राहक

का स्वामित्व और नियंत्रण संरचना समझनी चाहिए और निर्धारित करना चाहिए कि साधारण व्यक्ति कौन हैं जो विधिक व्यक्ति का आखिरकार नियंत्रण करता है। प्राधिकृत व्यक्तियों के दिशा-निर्देश के लिए कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में ग्राहक पहचान अपेक्षाएं, विशेषतः, विधिक व्यक्तियों, जिनके बारे में और अधिक सतर्कता की आवश्यकता है, नीचे पैराग्राफ 4.5 में दी गयी है। तथापि, प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ कार्य करते समय आये हुए उनके अनुभव, उनके सामान्य विवेक और स्थापित परंपराओं के अनुसार विधिक अपेक्षाओं के आधार पर अपने निजी आंतरिक दिशा-निर्देश तैयार करें। यदि प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे लेनदेन ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसार करना निर्धारित करता है तो प्राधिकृत व्यक्ति को लाभार्थी स्वामी (स्वामियों) की पहचान करने के लिए यथोचित उपाय इस प्रकार करने चाहिए ताकि वह इस बात से संतुष्ट हो सके कि वह लाभार्थी स्वामी को जानता है [भारत सरकार की 16 जून 2010 की अधिसूचना -नियम 9, उप-नियम (1ए)]।

बी) कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को, अर्थात् पत्नी, पुत्र, कन्या और माता-पिता, आदि जो उनके पति, पिता/माता और पुत्र, जैसी भी स्थिति हो, के साथ रहते हैं, तो प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ लेनदेन करना कठिन हो सकता है क्योंकि पते के सत्यापन के लिए आवश्यक उपयोगिता बिल उनके नाम में नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यक्ति, भावी ग्राहक जिस रिश्तेदार के साथ रहता है उससे इस घोषणापत्र के साथ कि लेनदेन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति वही व्यक्ति (भावी ग्राहक) है उसके पहचान दस्तावेज और उपयोगिता बिल प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यक्ति पते के और सत्यापन के लिए डाक द्वारा प्राप्त पत्र जैसी अनुपूरक साक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं। इस विषय पर शाखाओं को परिचालनगत अनुदेश जारी करते समय, प्राधिकृत व्यक्तियों ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का भाव ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों, जो अन्यथा कम जोखिमवाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं, को होनेवाली अनावश्यक कठिनाइयों को टालना चाहिए।

सी) प्राधिकृत व्यक्तियों को यदि कारोबारी संबंध बने रहते हैं तो ग्राहक पहचान डाटा (फोटोग्राफ/फोटोग्राफों सहित) आवधिक रूप से अद्यतन करने की एक प्रणाली बनानी चाहिए।

डी) ग्राहक पहचान के लिए जिन कागजातों/जानकारी पर विश्वास किया जाना चाहिए, उनके प्रकार और स्वरूप की एक निर्देशक सूची इस परिपत्र के **संलग्नक -I के भाग-बी** में दी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि **संलग्नक -I के भाग-बी** में उल्लिखित सही स्थायी पते का अर्थ है कि व्यक्ति सामान्यतः उस पते पर रहता है और ग्राहक के पते के सत्यापन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोगिता बिल अथवा स्वीकृत कोई अन्य कागजात में उल्लिखित पते के रूप में लिया जा सकता है। जब धन शोधन अथवा आतंकवाद से संबंधित गतिविधि के वित्तपोषण का शक/संदेह हो अथवा जहाँ पहले से प्राप्त ग्राहक पहचान संबंधी डाटा की पर्याप्तता अथवा यथातथ्यता के बारे में संदेह हो, तो

प्राधिकृत व्यक्ति समुचित सावधानी संबंधी उपायों की पुनरीक्षा करेगा, जिसमें मुवक्किल की पहचान फिर से सत्यापित करना तथा व्यवसाय संबंध के प्रयोजन और अभिप्रेत स्वरूप पर जानकारी प्राप्त करना, जैसी भी स्थिति हो, का समावेश होगा [भारत सरकार की 16 जून 2010 की अधिसूचना - धन शोधन निवारण नियमावली का नियम 9, उप-नियम (1डी)]।

ई) ग्राहकों से विदेशी मुद्रा की खरीद

- (i) ग्राहकों से 50,000/- अथवा उसके समतुल्य रुपये से कम राशि के विदेशी मुद्रा नोटों और/ अथवा चेकों की खरीद के लिए पहचान कागजातों की फोटोकापियाँ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, पहचान कागजातों के पूरे ब्योरे बनाये रखे जाने चाहिए। यदि प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि ग्राहक लेनदेन की न्यूनतम 50,000/- की सीमा से कम के लेनदेन दिखाने के लिए उन्हें जानबूझकर कम राशि के श्रृंखलाबद्ध लेनदेन ढांचे में परिवर्तित कर रहा है तो प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे ग्राहक की पहचान और पते को सत्यापित करे तथा तत्संबंध में वित्तीय आसूचना एकक-भारत (फाइयू-आइएनडी) के पास एसटीआर फाइल करने पर भी विचार करे।
- (ii) ग्राहकों से 50,000/- अथवा उसके समतुल्य रुपये से अधिक राशि के विदेशी मुद्रा नोटों और/ अथवा चेकों की खरीद के लिए इस परिपत्र के संलग्नक -I का भाग-बी में उल्लेख किये गये अनुसार, पहचान कागजातों का सत्यापन किया जाए तथा उसकी एक प्रति रखी जाए।
- (iii) (ए) निवासी ग्राहकों से विदेशी मुद्रा नोटों और/ अथवा यात्री चेकों की खरीद के लिए उन्हें भारतीय रुपयों में नकद में भुगतान के लिए अनुरोधों का प्रति लेनदेन केवल 1000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य की सीमा तक के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(बी) विदेशी पर्यटकों/ अनिवासी भारतीयों द्वारा 3000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य तक की सीमा तक नकद में भुगतान के लिए अनुरोधों का स्वीकार किया जा सकता है।

(सी) एक महीने के भीतर की गयी सभी खरीद उपर्युक्त प्रयोजन और रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए एकल लेनदेन के रूप में समझी जाए।

(डी) अन्य सभी मामलों में, प्राधिकृत व्यक्तियों ने केवल 'आदाता खाता' चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करना चाहिए।

- (iv) जब अनिवासी अथवा विदेश से लौटने वाले व्यक्ति द्वारा नकदीकरण के लिए प्रस्तुत की गयी विदेशी मुद्रा की राशि मुद्रा घोषणा पत्र फॉर्म(सीडीएफ) के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक होती है तो प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक सीडीएफ में घोषणापत्र के प्रस्तुतीकरण के लिए अनिवार्य रूप से जोर दें।

(v) किसी संदेहास्पद काले धन शोधन अथवा आतंकवादी निधियन के मामले में, निहित राशि पर ध्यान दिये बिना, बढ़ायी गयी ग्राहक यथोचित कार्रवाई की जाए। जब धन शोधन निवारण या आतंकवाद के वित्तपोषण का संदेह हो या जब अन्य कारक इस बात का विश्वास कराये कि ग्राहक वास्तव में कम जोखिम वाला नहीं है तो प्राधिकृत व्यक्ति ग्राहक के साथ किसी लेनदेन से पूर्व ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी बरतने के पूरे मानदंडों के अनुसार जाँच सुनिश्चित करे।

एफ) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा की बिक्री

(i) राशि पर ध्यान दिये बिना विदेशी मुद्रा के बिक्री के सभी मामलों में पहचान के लिए ग्राहक के पारपत्र पर जोर दिया जाए और विदेशी मुद्रा की बिक्री केवल वैयक्तिक आवेदनपत्र और पहचान दस्तावेजों के सत्यापन पर ही की जाएगी। पहचान दस्तावेजों की एक प्रति प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा रखी जानी चाहिए।

(ii) विदेशी मुद्रा की बिक्री के संबंध में रु.50,000/- से अधिक भुगतान केवल आवेदक का रेखांकित चेक / आवेदक की यात्रा प्रायोजित करनेवाली फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक / बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए। ऐसे भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड / प्रीपेड कार्ड के जरिये भी प्राप्त किये जा सकते हैं बशर्ते (ए) अपने ग्राहक को जानिये / धन शोधन निवारक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया हो, (बी) विदेशी मुद्रा की बिक्री / विदेशी मुद्रा में जारी किये गये यात्री चेक बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं (क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड्स) के भीतर हो, (सी) विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा यात्री चेक का खरीददार और क्रेडिट/ डेबिट/ प्रीपेड कार्ड धारक एक ही व्यक्ति हो।

(iii) इस प्रयोजन और रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए एक महीने अर्थात् 30 दिनों के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा की गयी सभी खरीद एकल लेनदेन के रूप में मानी जाए।

(iv) जहां आवश्यक हो नकदीकरण प्रमाणपत्र पर जोर दिया जाए।

जी) व्यवसाय संबंध स्थापित करना

(i) कंपनी / फर्म / ट्रस्ट और फाउंडेशन जैसी किसी व्यवसाय संस्था के साथ संबंध केवल इस परिपत्र के संलग्नक -I का भाग-बी में बताये गये अनुसार यथोचित दस्तावेज प्राप्त करने तथा सत्यापित करने पर ही स्थापित किये जाने चाहिए। सत्यापन के लिए मांगे गये सभी दस्तावेजों की प्रतियां अभिलेख में रखी जानी चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों ने व्यवसाय संबंध का प्रयोजन और अभिप्रेत स्वरूप की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक ग्राहक के साथ व्यवसायिक संबंधों में यथोचित सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए लेनदेनों की नजदीकी से जाँच करनी चाहिए कि वे अपने ग्राहक, उनका व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल की जानकारी रखते हैं। प्राधिकृत व्यक्तियों को यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक संबंधी यथोचित सावधानी प्रक्रिया के तहत प्राप्त किये गये दस्तावेज, डाटा अथवा जानकारी अद्यतन और मौजूदा अभिलेखों, विशेषतः उच्चतर जोखिम श्रेणी के ग्राहकों और व्यवसाय संबंधों की समीक्षा करते हुए तैयार रखी जाती है। जब व्यवसाय संबंध पहले से मौजूद है और व्यवसाय संबंध में ग्राहक के बारे में यथोचित सावधानी बरतनी संभव नहीं है तो प्राधिकृत व्यक्तियों ने व्यवसाय संबंध समाप्त करने चाहिए और एफआइयू-आइएनडी में संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट करनी चाहिए। उन परिस्थितियों में जब प्राधिकृत व्यक्ति को विश्वास हो कि वह ग्राहक (व्यक्ति/बिजिनेस इंटिटी) के संबंध में संतुष्ट नहीं रह गया है तो वह वित्तीय आसूचना एकक-भारत (फआइयू-आइएनडी) के पास एसटीआर फाइल करे।

4.5 ग्राहक पहचान आवश्यकताएं - निदर्शी दिशा-निर्देश

i) ट्रस्ट/ नामिती अथवा न्यासी ग्राहकों द्वारा लेनदेन

यह संभव है कि ग्राहक पहचान प्रक्रिया में ट्रस्ट/ नामिती अथवा न्यासी संबंधों का उपयोग धोखा देने के लिए किया जा सकता है। प्राधिकृत व्यक्तियों को यह ज्ञात करना चाहिए कि क्या ग्राहक, ट्रस्टी/ नामिती अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती संस्था के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करता है अथवा नहीं। यदि ऐसा करता है तो प्राधिकृत व्यक्तियों को मध्यवर्ती संस्था और जिनकी ओर से कार्य किया जाता है ऐसे व्यक्ति की पहचान के संतोषजनक दस्तावेज की प्राप्ति पर जोर देना चाहिए तथा ट्रस्ट अथवा अन्य व्यवस्थाओं के स्वरूप के विस्तृत ब्योरे प्राप्त करने चाहिए। किसी ट्रस्ट के लिए लेनदेन किये जाते समय, प्राधिकृत व्यक्तियों ने ट्रस्टी और ट्रस्ट के सेटलर्स (ट्रस्ट में आस्तियाँ सेटल करनेवाले किसी व्यक्ति सहित), अनुदानकर्ताओं, संरक्षकों हिताधिकारियों और हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए यथोचित सावधानी बरतनी चाहिए। सभी मामलों में हिताधिकारी आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में पहचाने जाने चाहिए। 'फाउंडेशन' के मामले में, फाउंडर प्रबंधकों / निदेशकों और हिताधिकारियों का सत्यापन किये जाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

ii) कंपनी और फर्मों द्वारा लेनदेन

प्राधिकृत व्यक्तियों को, प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ लेनदेन करने के लिए एक 'फ्रंट' के रूप में किसी व्यक्तिविशेषों द्वारा उपयोग की जा रही व्यवसाय संस्थाओं के संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्राधिकृत व्यक्तियों को संस्था के नियंत्रण ढांचे की जाँच करनी चाहिए, निधियों के स्रोत निर्धारित करने चाहिए तथा ऐसे व्यक्तियों को पहचानना चाहिए जो नियंत्रणकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और जो प्रबंधन में हैं। इन अपेक्षाओं में जोखिम बोध (पर्सप्शन) की दृष्टि से कुछ परिवर्तन किये जा सकते हैं अर्थात् मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी कंपनी के मामले में, सभी शेयरधारकों को पहचानने की आवश्यकता नहीं होगी।

iii) राजनयिकों (पोलिटिकली एक्स्पोजड् पर्सन्स)(पीडपी) द्वारा लेनदेन

राजनयिक व्यक्ति वे हैं जिन्हें विदेशों में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गये हैं अर्थात् राज्यों अथवा सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनयिक, वरिष्ठ सरकारी/ न्यायिक/ सेना अधिकारी, सरकारी स्वामित्ववाले निगमों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनयिक पार्टी के अधिकारी, आदि। प्राधिकृत व्यक्तियों को लेनदेन करने अथवा व्यवसाय संबंध स्थापित करने के इच्छुक श्रेणी के किसी व्यक्ति/ ग्राहक की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उस व्यक्ति की पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध सभी जानकारी की जांच करनी चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों को उस व्यक्ति की पहचान सत्यापित करनी चाहिए और ग्राहक के रूप में राजनयिकों को स्वीकृत करने से पहले संपत्ति के स्रोतों और निधियों के स्रोतों के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। राजनयिकों के साथ लेनदेन करने का निर्णय वरिष्ठ स्तर पर लिया जाना चाहिए और ग्राहक स्वीकृति नीति में उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों को ऐसे लेनदेनों की लगातार आधार पर निगरानी रखनी चाहिए। उपर्युक्त मानदंड राजनयिकों के परिवार के सदस्यों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों के साथ के लेनदेनों के लिए भी लागू किये जाएं। उपर्युक्त मानदंड ऐसे ग्राहकों को भी लागू किये जाएं जो व्यवसाय संबंध स्थापित करने के लिए राजनयिकों के उत्तराधिकारी हैं।

जब कोई ग्राहक पहले ही व्यवसाय संबंध स्थापित किये जाने पर राजनयिक बनता है तो ऐसे ग्राहकों के संबंध में ग्राहक यथोचित् बढ़ायी गयी कार्रवाई (सीडीडी) की जानी चाहिए और राजनयिक के साथ व्यवसाय संबंध बनाये रखने का निर्णय काफी वरिष्ठ स्तर पर लिया जाना चाहिए। ये अनुदेश ऐसे व्यक्तिगत लेनदेनों/व्यवसाय संबंध के लिए भी लागू हैं जहाँ कोई राजनयिक अंतिमतः हिताधिकारी स्वामी है। इसके अतिरिक्त, राजनयिकों के मामले में व्यक्तिगत लेनदेनों/व्यवसाय संबंध के बारे में, यह दोहराया जाता है कि प्राधिकृत व्यक्तियों के पास राजनयिकों, ग्राहक जो राजनयिकों के परिवार के सदस्य अथवा नजदीकी रिश्तेदार हैं और ऐसे व्यक्तिगत लेनदेनों/व्यवसाय संबंध जिसके लिए कोई राजनयिक अंतिमतः हिताधिकारी स्वामी है, को पहचानने तथा ग्राहक यथोचित् बढ़ायी गयी कार्रवाई (सीडीडी) करने के लिए उचित निरंतर जोखिम प्रबंध क्रियाविधि का पालन होना चाहिए।

4.6 लेनदेनों की निगरानी

अपने ग्राहक को जानिये की प्रभावी क्रियाविधि का अत्यंत आवश्यक घटक सतत निगरानी रखना है। प्राधिकृत व्यक्ति अपनी जोखिम केवल तभी प्रभावी रूप से नियंत्रित और कम कर सकेंगे जब उन्हें ग्राहक के सामान्य और यथोचित् कार्यकलाप के संबंध में जानकारी होगी और उनके पास ऐसे लेनदेनों की पहचान करने के लिए साधन उपलब्ध होंगे जो कार्यकलाप के नियमित पैटर्न से अलग है। तथापि, निगरानी की सीमा लेनदेन की जोखिम संवेदनशीलता पर निर्भर होगी। प्राधिकृत व्यक्तियों को सभी जटिल, असामान्यतः बड़े लेनदेन और सभी असामान्य पैटर्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिनका कोई प्रत्यक्ष आर्थिक और प्रत्यक्ष विधिक प्रयोजन नहीं है। प्राधिकृत व्यक्ति लेनदेन

की विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रारंभिक सीमा निर्धारित करें और इन सीमाओं से अतिरिक्त लेनदेनों पर विशेष रूप से ध्यान दें। उच्च-जोखिम लेनदेन, गहन निगरानी की शर्त पर किये जाने चाहिए। प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति को ग्राहक की पृष्ठभूमि जैसे मूल देश, निधियों के स्रोत, निहित लेनदेनों के प्रकार और अन्य जोखिम घटक ध्यान में लेते हुए ऐसे लेनदेनों के लिए मूल संकेतक ('मुख्य इंडिकेटर्स') निर्धारित करने चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों को ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक पुनरीक्षा और बढ़े हुए यथोचित सावधानी उपाय लागू करने की आवश्यकता की एक प्रणाली बनानी चाहिए। ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की पुनरीक्षा आवधिक रूप से की जानी चाहिए।

प्राधिकृत व्यापारी प्रत्येक ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध के मामले में सतत आधार पर समुचित सावधानी बरतें और उसके साथ किये जाने वाले लेनदेनों की सूक्ष्म जाँच करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक, उसके कारोबार और उसकी जोखिम प्रोफाइल और जहां कहीं आवश्यक हो निधियों के स्रोतों के संबंध में वह प्राधिकृत व्यक्ति को प्राप्त जानकारी के अनुरूप है। [भारत सरकार की 16 जून 2010 की अधिसूचना-नियम 9, उप-नियम (1बी)]।

प्राधिकृत व्यक्तियों (एपीएस) को, वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विवरणों में सम्मिलित किये गये क्षेत्राधिकार से और वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की सिफारिशें लागू न करनेवाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों के व्यक्तियों (विधिक व्यक्ति और अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) की पृष्ठभूमि तथा लेनदेनों के प्रयोजन की जांच करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि लेनदेनों का कोई स्पष्ट आर्थिक अथवा प्रत्यक्ष कानूनी प्रयोजन नहीं है तो ऐसे लेनदेनों की पृष्ठभूमि तथा प्रयोजन की यथा संभव, जांच की जानी चाहिए और सभी दस्तावेजों के साथ लिखित निष्कर्ष रोक रखने चाहिए तथा अनुरोध किये जाने पर रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

4.7 प्रत्याशित लेनदेन

जब ग्राहक द्वारा जानकारी प्रस्तुत न किये जाने और / अथवा सहयोग न दिये जाने के कारण प्राधिकृत व्यक्ति यथोचित अपने ग्राहक को जानिये उपाय लागू नहीं कर सकते हैं तब प्राधिकृत व्यक्तियों को लेनदेन नहीं करने चाहिए। ऐसी स्थितियों में प्राधिकृत व्यक्तियों को ग्राहक के संबंध में संदिग्ध लेनदेन, यदि वे वास्तव में नहीं किये जाते हैं तो भी वित्तीय आसूचना एकक - भारत (एफआइयू-आइएनडी) को रिपोर्ट करने चाहिए।

4.8 जोखिम प्रबंधन

ए) प्राधिकृत व्यक्तियों के निदेशक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यथोचित क्रियाविधि स्थापित करते हुए एक प्रभावी अपने ग्राहक को जानिये कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसका प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। उसमें यथोचित प्रबंधन निरीक्षण, प्रणालियाँ और नियंत्रण,

इयूटियों का विनियोजन, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित विषय होने चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों की नीतियों और क्रियाविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के बीच जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से विनियोजित की जानी चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों को अपने बोर्ड के साथ परामर्श करते हुए अपने मौजूदा और नये ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए नयी क्रियाविधियाँ बनानी चाहिए और किसी लेनदेन अथवा व्यवसाय संबंध में निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न धन शोधन निवारण उपाय लागू करने चाहिए।

बी) अपने ग्राहक को जानिये नीतियाँ और क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने और उसका पालन सुनिश्चित करने में प्राधिकृत व्यक्तियों की आंतरिक लेखा-परीक्षा और अनुपालन कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य नियम के रूप में, अनुपालन कार्य द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों की निजी नीतियाँ और क्रियाविधियों का विधिक और विनियामक आवश्यकताओं सहित एक स्वतंत्र मूल्यांकन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी लेखा-परीक्षा संबंधी व्यवस्था में पर्याप्त स्टाफ है जो इस प्रकार की नीतियों और क्रियाविधियों में अत्यंत निपुण है। समवर्ती लेखा-परीक्षकों को यह सत्यापित करने के लिए सभी लेनदेनों की जाँच करनी चाहिए कि सभी लेनदेन धन शोधन निवारण दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गये हैं और जहाँ आवश्यक हो संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट किये गये हैं। समवर्ती लेखा-परीक्षकों द्वारा अभिलेखित गलतियों पर अनुपालना, यदि कोई हो तो बोर्ड को प्रस्तुत करनी चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय अपने ग्राहक को जानिये/धन शोधन निवारण /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए और उसे रिकार्ड में रखना चाहिए।

4.9 नयी प्रौद्योगिकियों का परिचय - प्रीपेड कार्ड्स

प्राधिकृत व्यक्तियों को नयी अथवा विकासशील प्रौद्योगिकियों से प्राप्त किसी धनशोधन धमकियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो गुमनामी हो सकती हैं और उसका धनशोधन के प्रयोजन हेतु उपयोग करने को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए। कुछ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक विदेश जानेवाले यात्रियों को विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित प्रीपेड कार्ड जारी करते हैं। इन प्रीपेड कार्डों को जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी अपने ग्राहक को जानिये/धन शोधन निवारण /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करते हैं। यह भी वांछनीय है कि कुछ प्राधिकृत व्यक्ति, जो इस प्रकार के कार्ड जारी करने के लिए पात्र नहीं हैं परंतु कार्ड जारीकर्ता बैंकों तथा उनके ग्राहकों की ओर से इन कार्डों की मार्केटिंग में कार्यरत हैं, वे भी अपने ग्राहक को जानिये उपायों के शर्तों के अधीन हैं।

4.10 आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध

ए) मूल धनशोधन निवारण नियमों के अनुसार संदेहास्पद लेनदेनों में *अन्य बातों के साथ-साथ* ऐसे लेनदेन भी शामिल किये जाने चाहिए जो संदेह का यथोचित आधार होते हैं और जिस पर मूल धन निवारण अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अपराध पर कार्रवाई अपेक्षित हो, चाहे वह कितने भी मूल्य का क्यों न हो। अतः प्राधिकृत व्यक्तियों को आतंकवाद से संबंधित संदेहास्पद लेनदेनों की निगरानी और लेनदेनों की शीघ्र पहचान और वित्तीय आसूचना एकक- भारत(एफआईयू -आइएनडी) को प्राथमिकता आधार पर समुचित रिपोर्ट करने के लिए यथोचित व्यवस्था विकसित करनी चाहिए ।

बी) प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विवरण (www.fatf-gafi.org) में पहचाने गये अनुसार कतिपय क्षेत्राधिकार अर्थात् ईरान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साओ टोम और प्रिंसिपे, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक आफ कोरिया (पीआरके) में इन क्षेत्रों से किसी व्यक्तिगत अथवा व्यवसायी के साथ व्यवहार करते समय एएमएल/सीएफटी प्रणाली में समय-समय पर पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखें । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर परिचालित, एफएटीएफ विवरणों (जिनमें से 1 जुलाई 2011 तक अंतिम परिपत्र 20 मई 2011 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.65 है) विवरणों के अतिरिक्त प्राधिकृत व्यक्ति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना का उपयोग कर ऐसे देशों की पहचान भी करें जो एफएटीएफ सिफारिशों को लागू नहीं करते हैं या पर्याप्त रूप से लागू नहीं करते हैं। तदनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे एएमएल/सीएफटी की कमी वाले देशों/ क्षेत्राधिकारों के व्यक्तियों (विधिक व्यक्तियों और वित्तीय संस्थाओं) के साथ कारोबारी संबंध स्थापित करते और लेनदेन करते समय इन देशों से उत्पन्न जोखिमों को ध्यान में रखें और ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दें ।

4.11 भारत से बाहर शाखाओं और सहायक संस्थाओं की प्रयोज्यता

इस परिपत्र में निहित दिशा-निर्देश, विदेश में स्थित शाखाओं और निजी सहायक संस्थाओं, को विशेषतः, जिन देशों में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सिफारिशें लागू नहीं अथवा अपर्याप्त रूप से लागू हैं, अनुमत स्थानीय विधि की सीमा तक, लागू होंगे । जब स्थानीय लागू नियम और विनियम इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में प्रतिबंध करते हैं तो यह बात भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में लायी जानी चाहिए। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक और मेजबान देश नियामक, शाखाओं/समुद्रपारीय सहायक संस्थाओं द्वारा निर्धारित अपने ग्राहक को जानिये/धन शोधन निवारण /आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध के मानकों में अंतर है तो प्राधिकृत व्यक्तियों को दोनों में से अधिक कठोर विनियम संबंधी नियम अपनाने आवश्यक है ।

4.12. प्रधान अधिकारी

ए) प्राधिकृत व्यक्तियों को किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए । प्रधान अधिकारी ने प्राधिकृत व्यक्ति के मुख्य/कापरिट कार्यालय में होना चाहिए

और वह सभी लेनदेनों की निगरानी और रिपोर्टिंग करने तथा विधि के तहत यथा आवश्यक जानकारी देने के लिए जवाबदेह होगा। प्रधान अधिकारी की भूमिका और उत्तरदायित्व में समय समय पर जारी केवाईसी/एएमएल/सीएफटी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पर्यवेक्षण और विनियामक समग्र अनुपालन सुनिश्चित करना तथा धनशोधन निवारण अधिनियम, जैसा कि धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम 2009 द्वारा यथा संशोधित तथा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों, समय समय पर यथा संशोधित, में आने वाले दायित्व शामिल हैं। प्रधान अधिकारी धन शोधन निवारण /आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध के पूरे क्षेत्र (अर्थात् ग्राहक यथोचित सावधानी, रिकॉर्ड कीपिंग, आदि) में यथोचित अनुपालन प्रबंधन व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए भी जवाबदेह होगा। वह प्रवर्तन एजेंसियों, प्राधिकृत व्यक्तियों और धन शोधन निवारण /आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध का सामना करनेवाले किसी अन्य संस्था के साथ नजदीक से संपर्क रखेगा। प्रधान अधिकारी को उसकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से, यह सूचित किया जाता है कि प्रधान अधिकारी और अन्य यथोचित स्टाफ को ग्राहक पहचान डाटा और अन्य सीडीडी जानकारी, लेनदेन रिकार्ड और अन्य संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंकों ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधान अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और वरिष्ठ प्रबंधन अथवा निदेशक बोर्ड को सीधे ही रिपोर्ट कर सकें।

बी) प्रधान अधिकारी वित्तीय आसूचना ईकाई - भारत को नकदी लेनदेन रिपोर्ट और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट के समय पर प्रस्तुतीकरण के लिए जवाबदेह होगा।

4.13 लेनदेनों के रिकॉर्ड रखना / परिरक्षित की जानेवाली जानकारी/ रिकॉर्डों को रखना और परिरक्षण/ वित्तीय आसूचना एकक - भारत को नकदी और संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्टिंग

धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12, लेनदेन संबंधी जानकारी के परिरक्षण और रिपोर्टिंग के बारे में प्राधिकृत व्यक्तियों को कतिपय दायित्व देता है। अतः प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके तहत अधिसूचित नियमों का अध्ययन करें और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 की आवश्यकताओं के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएँ।

(i) लेनदेनों के रिकार्ड रखना

प्राधिकृत व्यक्तियों को नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेनों का उचित रिकार्ड रखने के लिए नीचे दर्शाये गये अनुसार एक प्रणाली तैयार करनी चाहिए :

ए) दस लाख रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य राशि से अधिक मूल्य के सभी नकदी लेनदेन ;

बी) दस लाख रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य राशि से कम मूल्य के एक दूसरे से संबद्ध सभी नकदी लेनदेनों की श्रृंखला, जब श्रृंखला के सभी लेनदेन एक महीने के भीतर किये गये हो और ऐसे लेनदेनों का समग्र मूल्य दस लाख रुपयों से अधिक हो;

सी) लाभ अर्जित न करने वाले संगठनों द्वारा प्राप्त राशियों जिनमें शामिल सभी लेनदेनों का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक या विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य हो [भारत सरकार की 12 नवंबर 2009 की अधिसूचना-धन शोधन निवारण नियमावली के नियम 3, उप-नियम(1) खंड (बीए) देखें]

डी) ऐसे सभी नकद लेनदेन जहां नकली/जाली करेंसी नोट या बैंक नोट असली की जगह और जहां जालसाजीकृत मूल्यवान प्रतिभूतियों और प्रलेखों को लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो; और

ई) नकदी में और नियमों में उल्लेख किये गये रूप में किये गये अथवा न किये गये सभी संदेहास्पद लेनदेन ।

(ii) परिरक्षित की जानेवाली जानकारी

प्राधिकृत व्यक्तियों को नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी सहित सभी आवश्यक सूचना रखनी आवश्यक है ताकि एकल लेनदेनों को पुनर्संचित किया जा सके;

ए) लेनदेनों का प्रकार ;

बी) लेनदेन की राशि और वह किस मुद्रा में मूल्यवर्गित थी ;

सी) लेनदेन किस तारीख को किये गये; और

डी) लेनदेन से संबद्ध पार्टियाँ

(iii) रिकॉर्ड का रखरखाव और परिरक्षण

ए) प्राधिकृत व्यक्तियों को उपर्युक्त नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों संबंधी रिकॉर्ड सहित सभी लेनदेनों से संबंधित सूचना को अंतर्विष्ट करने वाली जानकारी का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है । प्राधिकृत व्यक्तियों को लेनदेन जानकारी के उचित रखरखाव और परिरक्षण के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए यथोचित कदम उठाने चाहिए कि जिसमें जब कभी आवश्यकता पड़ती है अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जाते हैं तो डाटा सहजता से और शीघ्रता से उपलब्ध हो । इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यक्तियों को प्राधिकृत व्यक्ति और ग्राहक के बीच निवासियों और अनिवासियों दोनों के साथ किये गये लेनदेनों के सभी आवश्यक रिकॉर्ड लेनदेन की तारीख से न्यूनतम दस वर्षों तक

रखे जाने चाहिए, जो व्यक्तिगत लेनदेनों (निहित राशियाँ और मुद्रा के प्रकार, यदि कोई हो, के सहित) का पुनर्निर्माण कर सकेंगे, जिससे उस रिकॉर्ड को यदि आवश्यक हो तो आपराधिक कार्यकलाप में निहित व्यक्तियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

बी) प्राधिकृत व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेनदेन करते समय और व्यवसाय संबंध की अवधि के दौरान प्राप्त किये गये ग्राहक और उसके पते की पहचान से संबंधित रिकॉर्ड,(अर्थात् पारपत्र, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड, उपयोगिता बिल, आदि जैसे दस्तावेजों की प्रतियाँ) लेनदेन/व्यवसाय संबंध की समाप्ति से कम से कम **दस वर्षों** के लिए यथोचित रूप से परिरक्षित किये जाते हैं । पहचान संबंधी रिकॉर्ड और लेनदेन के आंकड़े मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारियों को उपलब्ध किये जाने चाहिए।

सी) इस परिपत्र के पैराग्राफ 4.6 में, प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया गया है कि सभी जटिल, असामान्य बड़े लेनदेन और लेनदेनों के सभी असामान्य पैटर्न , जिसका कोई प्रथमदर्शनी आर्थिक अथवा प्रत्यक्ष वैध प्रयोजन नहीं है, पर विशेष ध्यान दिया जाए । इसके साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे लेनदेनों से संबंधित सभी दस्तावेज/कार्यालय रिकॉर्ड/जापन सहित पृष्ठभूमि और उसके प्रयोजन की यथासंभव जांच की जानी चाहिए और शाखा तथा प्रधान अधिकारी के स्तर पर पाये गये निष्कर्ष यथोचित रूप से रिकॉर्ड किये जाने चाहिए । ऐसे अभिलेख और संबंधित दस्तावेज, लेखा-परीक्षकों को लेनदेनों की छान-बीन से संबंधित उनके दैनिक कार्य में सहायक होने के लिए और रिज़र्व बैंक और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध किये जाने चाहिए । इन रिकॉर्डों को **दस वर्षों** के लिए परिरक्षित किया जाना आवश्यक है , क्योंकि यह धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और समय - समय पर यथा संशोधित धन शोधन निवारण (लेनदेनों के प्रकार और लागत के रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखने की क्रियाविधि और पद्धति और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियाँ, वित्तीय संस्थाएं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के रिकॉर्डों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 के तहत आवश्यक है ।

(iv) वित्तीय आसूचना एकक(यूनिट)- भारत को रिपोर्टिंग

ए) धन शोधन निवारण नियमावली के अनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों को नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में नकदी और संदेहास्पद लेनदेनों से संबंधित जानकारी निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक(यूनिट)- भारत को निम्नलिखित पते पर रिपोर्ट करना आवश्यक है :

निदेशक

वित्तीय आसूचना एकक (यूनिट)- भारत(एफआइयु-आइएनडी)

6वीं मंजिल,हॉटेल सम्राट

चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली-110021

बी) प्राधिकृत व्यक्तियों को सभी रिपोर्टिंग फॉर्मों का अध्ययन करना चाहिए। इस परिपत्र के संलग्नक -I के भाग सी में विस्तृत रूप से दर्शाये गये अनुसार कुल मिलाकर चार रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं अर्थात् i) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर); ii) ईलेक्ट्रॉनिक फाइल स्ट्रक्चर-सीटीआर; iii) संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर); iv) ईलेक्ट्रॉनिक फाइल स्ट्रक्चर-एसटीआर। रिपोर्टिंग फॉर्मेटों में समेकन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश और वित्तीय आसूचना ईकाई – भारत (एफआइयु-आइएनडी) को रिपोर्टों की प्रस्तुति की पद्धति तथा क्रियाविधि दी गयी है। प्राधिकृत व्यक्तियों को यह आवश्यक होगा कि वे वित्तीय आसूचना ईकाई – भारत (एफआइयु-आइएनडी) को सभी प्रकार की रिपोर्टों की ईलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए अविलंब कदम उठाये। ईलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित हार्डवेयर और तकनीकी आवश्यकता, संबंधित डाटा फाइल्स और उसका डाटा स्ट्रक्चर संबंधित फॉर्मेटों के अनुदेश भाग में प्रस्तुत किया गया है।

सी) इस परिपत्र के पैराग्राफ 4.3(ख) में निहित अनुदेशों के अनुसार, प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक ग्राहक के लिए जोखिम वर्गीकरण पर आधारित एक प्रोफाइल तैयार करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पैराग्राफ 4.6 के जरिये, जोखिम वर्गीकरण की आवधिक पुनरीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अतः यह दोहराया जाता है कि लेनदेन निगरानी व्यवस्था के एक भाग के रूप में प्राधिकृत व्यक्तियों को, जब लेनदेन जोखिम वर्गीकरण और ग्राहकों के अद्यतन प्रोफाइल के साथ सुसंगत नहीं है तब सावधान करने के लिए यथोचित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार करना आवश्यक है। यह जोड़ने की जरूरत नहीं है कि संदेहास्पद लेनदेन पहचानने और उसके रिपोर्टिंग के लिए सावधान करनेवाला रोबस्ट(संतुलित) सॉफ्टवेयर आवश्यक है।

4.14 नकदी और संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट

ए) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)

जबकि सभी प्रकार की रिपोर्टों की फाइलिंग के लिए विस्तृत अनुदेश संबंधित फॉर्मेटों के अनुदेश भाग में दिये गये हैं, प्राधिकृत व्यक्तियों को अत्यंत सावधानी से निम्नलिखित का पालन करना चाहिए :

(i) प्रत्येक महीने के लिए नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) अनुवर्ती महीने की 15 तारीख तक एफआइयु-आइएनडी को प्रस्तुत करनी चाहिए। अतः शाखाओं द्वारा उनके नियंत्रणकर्ता कार्यालयों को नकदी लेनदेन रिपोर्ट अनिवार्यतः मासिक आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए और प्राधिकृत व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक महीने के लिए नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाती है।

(ii) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) फाइल करते समय, 50,000 रुपये से कम वाले वैयक्तिक लेनदेन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) में प्राधिकृत व्यक्ति के आंतरिक खाते में किये गये लेनदेनों को छोड़कर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से किये गये लेनदेनों का ही समावेश होना चाहिए।

(iv) समग्र रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के लिए नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), विनिर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार प्रधान अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष फॉर्म में प्रत्येक महीने में समेकित की जानी चाहिए। उक्त रिपोर्ट प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए और एफआइयु-इंडिया को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(v) यदि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा शाखाओं के लिए नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) उनके सेंट्रल डाटा सेंटर स्तर पर केंद्रीकृत रूप से समेकित की गयी हो तो प्राधिकृत व्यक्तियों को एफआइयु-इंडिया को आगे के प्रेषण के लिए एक जगह पर केंद्रीय कंप्यूटरीकृत वातावरण के तहत शाखाओं के संबंध में केंद्रीकृत नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) तैयार करनी चाहिए, बशर्ते :

ए) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) इस परिपत्र के पैराग्राफ 4.13 (iv)(बी) में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में तैयार की गयी है।

बी) उनकी ओर से एफआइयु-इंडिया को प्रस्तुत किये गये मासिक नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) की एक प्रति मांगे जाने पर लेखा-परीक्षकों/निरीक्षकों को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित शाखा में उपलब्ध है।

सी) इस परिपत्र के क्रमशः पैराग्राफ 4.13(i),(ii) और (iii) में उपर्युक्त में निहित किये गये अनुसार 'लेनदेनों के रिकॉर्डों का रखरखाव', 'परिरक्षित की जानेवाली जानकारी' और 'रिकॉर्डों का रखरखाव और परिरक्षण' पर अनुदेशों का शाखा द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

तथापि, केंद्रीय कंप्यूटरीकृत वातावरण के तहत न आनेवाली शाखाओं के संबंध में मासिक नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) समेकित की जानी और शाखा द्वारा प्रधान अधिकारी को एफआइयु-इंडिया को आगे के प्रेषण के लिए प्रेषित की जानी जारी रखा जाना चाहिए।

बी) संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)

(i) संदेहास्पद लेनदेनों का निर्धारण करते समय, प्राधिकृत व्यक्तियों को समय-समय पर यथा संशोधित धन शोधन निवारण नियमावली में निहित संदेहास्पद लेनदेन की परिभाषा द्वारा दिशा-निर्देश दिये जाने चाहिए।

(ii) यह संभव है कि कुछ मामलों में लेनदेन, ग्राहकों द्वारा कुछ ब्योरे देने अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पूछे जाने पर परित्यक्त/निष्फल होते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकृत व्यक्तियों को संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट(एसटीआर) में लेनदेन की राशि पर ध्यान दिये बिना ग्राहकों द्वारा पूर्ण न किये जाने पर भी सभी प्रयासित लेनदेन रिपोर्ट करने चाहिए।

(iii) प्राधिकृत व्यक्तियों को यदि उनके पास विश्वास का यह उचित आधार है कि प्रयासित लेनदेन सहित लेनदेन में, लेनदेन की राशि पर ध्यान दिये बिना, अपराध की राशि निहित है और/अथवा अपराध निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक सीमा परिकल्पित है तो संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट(एसटीआर) धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग बी में करनी चाहिए।

(iv) नकदी अथवा गैर-नकदी के प्रयासित लेनदेन सहित लेनदेन, अथवा एकीकृत रूप से संबद्ध लेनदेनों की श्रृंखला संदेहास्पद स्वरूप की है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर 7 दिनों के भीतर संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट(एसटीआर) प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रधान अधिकारी को किसी लेनदेन अथवा लेनदेनों की श्रृंखला संदेहास्पद लेनदेन के रूप में मानने के लिए अपने कारण रिकॉर्ड करने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी शाखा अथवा किसी अन्य कार्यालय से एक बार संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त होने पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई विलंब नहीं हो। ऐसी रिपोर्ट मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारियों को उपलब्ध की जानी चाहिए।

v) स्टाफ के बीच अपने ग्राहक को जानिये/धन शोधन निवारण जागरूकता निर्माण करने के संबंध में और संदेहास्पद लेनदेनों के लिए सचेत करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति संदेहास्पद कार्यकलापों की निम्नलिखित निदर्शी सूची पर विचार करें।

कुछ संभाव्य संदेहास्पद कार्यकलाप निदर्शक नीचे दिये गये हैं:

- ग्राहक तुच्छ आधार पर ब्योरे/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनिच्छुक है।
- लाभाधिकारी की पहचान संरक्षित करने अथवा उनका सहभाग छुपाने के लिए लेनदेन एक अथवा अधिक मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा की जाती है।
- लेनदेनों का आकार और बारंबारिता ग्राहक के सामान्य व्यवसाय से उच्च है।
- लेनदेनों के पैटर्न में परिवर्तन है।

उपर्युक्त सूची केवल निदर्शी है और न कि सर्वसमावेशक है।

(vi) प्राधिकृत व्यक्तियों को ऐसे लेनदेनों पर कोई रोक नहीं लगानी चाहिए जहां संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट(एसटीआर) की गयी है। साथ में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राधिकृत व्यक्तियों के

कर्मचारी इस प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने का तथ्य अत्यंत गोपनीय रखेंगे और किसी भी स्तर पर ग्राहक को संकेत नहीं देंगे ।

4.15 ग्राहक शिक्षा / कर्मचारियों का प्रशिक्षण / कर्मचारियों का नियोजन

ए) ग्राहक शिक्षा

अपने ग्राहक को जानिये क्रियाविधि के कार्यान्वयन की अपेक्षा है कि प्राधिकृत व्यक्ति ग्राहक से कुछ जानकारी मांगे जो वैयक्तिक प्रकार की हो अथवा इसके पहले कभी मांगी न गयी हो । इस प्रकार की जानकारी जमा करने के उद्देश्य और प्रयोजन से ग्राहक द्वारा अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं । अतः प्राधिकृत व्यक्तियों को विशिष्ट साहित्य/पुस्तिका, आदि तैयार करने की आवश्यकता है जिससे अपने ग्राहक को जानिये कार्यक्रम के उद्देश्यों से ग्राहक को शिक्षित किया जा सकें । ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए फ्रंट डेस्क स्टाफ को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ।

बी) कर्मचारी का प्रशिक्षण

प्राधिकृत व्यक्तियों को कर्मचारियों के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिससे स्टाफ सदस्य धन शोधन निवारण से संबंधित नीतियाँ और क्रियाविधियाँ, धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधान जानने में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होंगे और सभी लेनदेनों की निगरानी रखने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए महसूस करेंगे कि मुद्रा परिवर्तन के बहाने कोई संदेहास्पद लेनदेन नहीं किया जा रहा है । फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन स्टाफ और नये ग्राहकों के साथ कार्य करनेवाले स्टाफ के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकताएं होंगी । यह कठिन है कि सभी संबंधित अपने ग्राहक को जानिये नीतियों के पीछे का तर्काधार समझें और लगातार उनका कार्यान्वयन करें । जब स्टाफ के सामने कोई संदेहास्पद लेनदेन (जैसे निधियां के स्रोत के संबंध में प्रश्न पूछना, पहचान दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करना, प्रधान अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करना, आदि) होता है तो की जानेवाली कार्रवाई प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए और यथोचित क्रियाविधि निर्धारित करनी चाहिए । धन शोधन निवारण उपायों के लगातार कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ।

सी) कर्मचारियों का नियोजन

यह समझा जाए कि अपने ग्राहक को जानिये मापदंड/ धन शोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध के उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किये गये हैं कि अपराधी वर्ग, प्राधिकृत व्यक्तियों की प्रणाली का दुरुपयोग न कर सकें । अतः यह आवश्यक होगा कि प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों की भर्ती/ नियोजन प्रक्रिया के अविभाज्य भाग के रूप में पर्याप्त स्क्रीनिंग व्यवस्था की जाती है ।

ग्राहक पहचान क्रियाविधि
सत्यापित की जानेवाली विशेषताएं और ग्राहकों से प्राप्त किये जानेवाले दस्तावेज

विशेषताएं	दस्तावेज
<p>व्यक्तियों के साथ लेनदेन</p> <p>वैध नाम और उपयोग किया गया कोई अन्य नाम</p>	<p>(i) पारपत्र (ii) पैनकार्ड (iii) मतदाता पहचान कार्ड (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) पहचान पत्र (प्राधिकृत व्यक्ति की संतुष्टि के अधीन) (vi) प्राधिकृत व्यक्ति की संतुष्टि तक ग्राहक की पहचान और निवास का सत्यापन करते हुए किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी अथवा सरकारी सेवक से पत्र</p>
<p>सही स्थायी पता</p>	<p>(i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरण (iii) मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी से पत्र (iv) इलेक्ट्रीसिटी बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (प्राधिकृत व्यक्ति की संतुष्टि के अधीन)</p> <p>(दस्तावेजों में किसी एक, जो प्राधिकृत व्यक्ति की संतुष्टि के लिए ग्राहक जानकारी देता है)</p>
<p>व्यवसाय संबंध की स्थापना-कंपनियाँ</p> <p>-कंपनी का नाम</p> <p>-व्यवसाय का मुख्य स्थान</p> <p>-कंपनी का पत्राचार का पता</p> <p>-टेलीफोन/फैक्स नंबर</p>	<p>निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रत्येक की प्रमाणित प्रति</p> <p>(i) निगमीकरण का प्रमाणपत्र</p> <p>(ii) एसोसिएशन के ज्ञापन और अनुच्छेद</p> <p>(iii) प्राधिकृत व्यक्ति के साथ विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए बोर्ड के निदेशकों का प्रस्ताव</p> <p>(iv) कंपनी की ओर से विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए कंपनी के प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को प्रदान किया गया मुख्तारनामा और उनकी पहचान</p> <p>(v) पैन कार्ड</p> <p>(vi) टेलीफोन बिल</p>
<p>व्यवसाय संबंध की स्थापना - भागीदारी फर्म</p>	<p>निम्नलिखित के प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रति :</p>

<p>-वैध नाम -पता -सभी भागीदारों के नाम और उनके पते -फर्म और भागीदारों के टेलीफोन/फैक्स नंबर</p>	<p>(i) यदि पंजीकृत है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र (ii) भागीदारी विलेख (iii) फर्म के किसी भागीदार अथवा किसी कर्मचारी को फर्म की ओर से लेनदेन करने के लिए प्रदान किया गया मुख्तारनामा (iv) मुख्तारनामा धारण करनेवाले भागीदारों और व्यक्तियों के पहचान के कोई आधिकारिक वैध दस्तावेज, उनके पते और उनके हस्ताक्षर (v) फर्म/ भागीदारों के नाम में टेलीफोन बिल</p>
<p>व्यवसाय संबंध की स्थापना - ट्रस्ट और फाउंडेशन</p> <p>-ट्रस्टीज्, अधिवासी, लाभाधिकारी और हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम -फाउंडर, प्रबंधकों/ निदेशकों और लाभार्थियों के नाम -टेलीफोन/ फैक्स नंबर</p>	<p>निम्नलिखित के प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रति :</p> <p>(i) यदि पंजीकृत है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र (ii) उनकी ओर से लेनदेन करने के लिए प्रदान किया गया मुख्तारनामा (iii) ट्रस्टीज्, अधिवासी, लाभाधिकारी और मुख्तारनामा धारण करनेवाले, फाउंडर, प्रबंधकों/ निदेशकों की पहचान के लिए कोई आधिकारिक वैध दस्तावेज और उनके पते (iv) फाउंडेशन/ एसोसिएशन के प्रबंध निकाय का प्रस्ताव (v) टेलीफोन बिल</p>

विभिन्न रिपोर्टों और उनके फॉर्मों की सूची

1. नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)
2. ईलेक्ट्रानिक फाइल स्ट्रक्चर-सीटीआर
3. संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)
4. ईलेक्ट्रानिक फाइल स्ट्रक्चर- एसटीआर

उपर्युक्त रिपोर्टों के फॉर्मों के लिए, कृपया (एफ-भाग-III) [27 नवंबर 2009 का ए.पी.(डीआंआर सिरिज) परिपत्र सं.17{ए.पी. (एफएल/आरएल सिरिज) परिपत्र सं.4) के बाद के संलग्नक देखें]

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के तहत संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक लाइसेंस हेतु आवेदनपत्र

1.	आवेदक का पूरा नाम	
2.	पूरा पता	
3.	उस जगह/जगहों का/के नाम जहाँ पर कि आवेदक, मुद्रा परिवर्तन के कारोबार के लिए प्रस्ताव देता है (दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत जारी लाइसेंसों की प्रतियां संलग्न करें)	
4.	(ए) कंपनी की स्थापित होने की तारीख (बी) कंपनी के निदेशकों के नाम और पते	
5.	कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (निगमन प्रमाणपत्र और कारोबार शुरू करने के प्रमाणपत्र की प्रति)	
6.	उस पत्र के साथ जिसमें मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने की शर्त का उल्लेख किया गया हो, संस्था के बहिर्नियम की प्रति	
7.	सीआईआर फॉर्मेट में आवेदक के बैंक/ बैंकों की एक गोपनीय रिपोर्ट ।	
8.	निवल स्वाधिकृत निधियां आवेदन -पत्र की तारीख को कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियां तथा उनकी गणना प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखाकार के प्रमाणपत्र के साथ आवेदक कंपनी के खातों के लेखा परीक्षण की अद्यतन प्रति संलग्न की जाये ।	2.
9.	इस आशय की एक घोषणा कि किसी कानून व्यवस्था प्रवर्तन एजेंसी जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय में ,कंपनी	

	अथवा उसके किसी निदेशक के विरुद्ध कोई विवेचना नहीं चल रही है /न्यायनिर्णयन नहीं हो रहा है और इसके साथ ही किसी अपराध अन्वेषण एजेंसी के पास ,कंपनी अथवा उसके किसी निदेशक के विरुद्ध कोई विवेचना लंबित नहीं है।	
10.	मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने के लिए कुशल स्टाफ रखने का वचनपत्र	
11.	विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम	
12.	आवेदक के कार्यकलापों/कारोबार के स्वरूप पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट	
13.	क्या आवेदक ने इससे पहले संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक(आरएमसी) के लाइसेंस लिए आवेदन -पत्र दिया है ? यदि हाँ तो उसके ब्योरे दें।	
14.	अन्य कोई ब्योरे /विशेष कारण जो आवेदक अपने आवेदन -पत्र के समर्थन में देना चाहे ।	

हम वचन देते हैं कि मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने में हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी तरफ से समय-समय पर जारी सभी नियमों/ विनियमों/ आदेशों/ निर्देशों/ अधिसूचनाओं का पालन करेंगे।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुहर

अनुलग्नक:

1. बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट ।
2. लेखों की पिछले तीन वर्ष की लेखापरीक्षा की प्रमाणित प्रतियां ।

नोट: एकल शाखा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा रखी जाने वाली स्वाधिकृत निवल निधियां 25 लाख रुपये से कम की नहीं होंगी जब कि एक से अधिक शाखाओं के जरिये पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों का कारोबार करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा रखी जाने वाली स्वाधिकृत निवल निधियां 50 लाख रुपये से कम की नहीं होंगी ।

फॉर्म आरएमसी-एफ

1.	प्राधिकृत व्यापारी/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक का नाम	
2.	फ्रेंचाइजीज का नाम और पता	स्थान के ब्योरे
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
	आदि	
3.	फ्रेंचाइजीज का मौजूदा व्यवसाय का कार्यकलाप	
4.	निवल स्वाधिकृत निधियां	
5.	फ्रेंचाइजीज के पक्ष में दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम / लागू किसी अन्य नगरपालिका का प्रमाणीकरण	
6.	स्थानीय पुलिस द्वारा जारी फ्रेंचाइजीज का आचरण प्रमाणपत्र (ज्ञापन पत्र और संस्था के अंतर्नियम की प्रमाणित प्रति तथा निगमित संस्थाओं के संबंध में निगमीकरण का प्रमाणपत्र	
7.	यदि, फ्रेंचाइजीज/अथवा उसके किसी निदेशक/साझेदार के विरुद्ध किसी कानून व्यवस्था प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा हो/ लंबित हो, के संबंध में घोषणा ।	
8.	फ्रेंचाइजीज और उसके निदेशकों/साझेदारों के पैन (पीएएन) नंबर	
9.	विदेशी मुद्रा अभ्यर्पित करने की मौजूदा व्यवस्था	
10.	धन-शोधन निवारण संबंधी दिशा-निर्देश(एएमएल), रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा और निरीक्षण व्यवस्था	

हम घोषणा करते हैं कि फ्रेंचाइजीज का चुनाव करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है और इन संस्थाओं ने आस्वासन दिया है कि वे मुद्रा परिवर्तन संबंधी फ्रेंचाइजीज करार/भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के सभी प्रावधानों का भारतीय रिजर्व बैंक के प्रचलित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे ।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एफएलएम-1

दैनिक सारांश और शेष बही
(फॉरेन करेंसी / सिक्के)

दिनांक:-----

		पाउंड स्टर्लिंग	अमरी की डॉलर	यूरो	येन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
I	अथ शेष					
II.	जोड़ें : खरीद (i) पब्लिक से खरीद (iii) प्राधिकृत व्यापारियों, मुद्रा परिवर्तकों और फ्रेंचाइजीज से खरीद (iii) स्टॉक की पुनःपूर्ति के लिए विदेश से आयात कुल खरीद कुल (I+II)					
III	घटाएं बिक्री (i) पब्लिक को बिक्री (ii) प्राधिकृत व्यापारियों और पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को बिक्री (iii) वसूली के लिए विदेश को प्रेषण कुल बिक्री					
IV	इति शेष (I+ II-III)					

टिप्पणी : जहाँ जाली नोट आदि पकड़े जाते हैं वहाँ इति शेष को राशि और कारण निर्दिष्ट करते हुए समायोजित की जाये।

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

एफएलएम-2

दैनिक सारांश और शेष बही

(यात्री चेक)

दिनांक:-----

		पाउंड स्टर्लिंग	अमरी की डॉलर	यूरो	येन	अन्य (कृपया उल्लेख करें)
I	अथ शेष					
II.	जोड़ें :					
	(i) पब्लिक से खरीद (iii) अन्य से खरीद (प्राप्त नये स्टॉक सहित) कुल (I+II)					
III	घटाएं : (1) पब्लिक को बिक्री (2) प्राधिकृत व्यापारियों और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को अभ्यर्पित (3) निर्यातकों को					
IV	इति शेष (I+ II-III)					

बेचे गये प्री-पेड कार्ड्स

नंबर

राशि

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

टिप्पणी : बेसिक ट्रेवल कोटा अथवा व्यवसाय यात्रा के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारियों / यात्री चेक जारी कर्ताओं / अन्य एजेंसियों से प्राप्त विभिन्न मूल्यवर्गों के कोरे यात्री चेक/स्मार्ट कार्डों का स्टॉक रजिस्टर रखा जाये तथा दैनिक आधार पर उसका मिलान किया जाये।

एफएलएम-3

जनता से फॉरेन करेंसीज की खरीदों का रजिस्टर

दिनांक	क्रमांक	प्रस्तुतकर्ता का नाम	राष्ट्रीयता और पूरा पता	पहचान के लिए प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के ब्योरे	पाउंड स्टर्लिंग	अमरीकी डॉलर	यूरो
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

जापानी येन	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	दर	समतुल्य रुपया	नकदीकरण प्रमाणपत्र का नंबर तथा तारीख	टिप्पणी
9.	10.	11.	12.	13.	14.

टिप्पणी: (1) यदि कोई मुद्रा परिवर्तक बहुत सी करेंसियों का कारोबार करता हो तो ,वह अपनी सुविधा के अनुसार,दो से अधिक करेंसीवार- रजिस्टर बनाये ।

(2) यदि यात्री चेक खरीदे जाते हैं तो राशि के कॉलम में प्रीफिक्स -"टीसी " निर्दिष्ट किया जाये ।

(3) यदि एक ही क्रेता से एक से अधिक मुद्रा की खरीद की जाती है तो अलग-अलग प्रविष्टियां की जाएं ।

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

एफएलएम-4

प्राधिकृत व्यापारियों और प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से फॉरेन करेंसी नोटों/ सिक्कों की खरीदों का रजिस्टर

दिनांक	क्रम सं.	प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक का नाम जिससे खरीद की गई	करेंसी	राशि	दर	समतुल्य रुपया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

एफएलएम-5

जनता को फॉरेन करेंसी की बिक्री का रजिस्टर

दिनांक	क्रम सं.	प्रस्तुतकर्ता का नाम	राष्ट्रीयता और पूरा पता	पहचान के लिए प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के ब्योरे	प्रायोजक संगठन का नाम	दौरा वाले देशों के	दौरा का प्रयोजन	विदेश में रहने की अवधि(दिनों की संख्या)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

फॉरेन करेंसी नोट/सिक्के/यात्री चेकों /प्री-पेड कार्डों का ब्योरे			दर	समतुल्य रुपया	कमीशन , यदि कोई लिया गया हो	प्राप्त कुल राशि		कैश मेमो नंबर तथा तारीख	टिप्पणी
करेंसी का नाम	नोटों/ सिक्कों की राशि	यात्री चेकों / कार्डों की राशि				नकद	• चेक से		
10.	11.	12.	13	14.	15.	16.	17.	18.	19.

- टिप्पणी:** (1) यदि कोई मुद्रा परिवर्तक बहुत सी करेंसियों का कारोबार करता हो तो ,वह अपनी सुविधा के अनुसार, दो से अधिक करेंसीवार- रजिस्टर बनाये ।
- (2) यदि एक से अधिक करेंसियों की बिक्री की जाती है तो उनकी अलग अलग प्रविष्टियां की जायें।
- (3) यदि व्यावसायिक प्रयोजन से विदेशी मुद्रा जारी की जाती है तो कॉलम 6 तथा 9 भरे जायें।

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

संलग्नक-X

[खंडV , पैराग्राफ 14(i) (जी) देखें]

एफएलएम-7

प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक/ निर्यातकों को समर्पित यात्री चेकों का रजिस्टर

दिनांक	क्रम सं.	प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक/यात्री चेक जारीकर्ता /प्राधिकृत एजेंट का नाम व पता जिसको बिक्री की गई	यात्री चेकों की संख्या	राशि	दर	समतुल्य रुपया	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

एफएलएम-8

(पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लिए)

माह-----200 के दौरान विदेशी करेंसी नोटों के क्रय और बिक्रय का सारांश
विवरण

मुद्रा परिवर्तक का नाम व पता -----आरबीआई लाइसेंस नंबर -----

	अमरीकी डॉलर	जीबीपी	यूरो	येन	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें
<p>ए. अथ शेष निम्नलिखित से फॉरेन करेंसी नोटों की खरीद (ए) पब्लिक से (बी) प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / निर्यात सहित प्राधिकृत व्यापारी (सी) एजेंट और फ्रेंचाइजीज</p> <p>बी. कुल खरीद(ए)+ (बी) + (सी) निम्नलिखित के अंतर्गत विदेशी करेंसी नोटों की बिक्री (ए) व्यवसाय यात्रा कोटा (बी) व्यावसायिक दौरा (सी) निर्यातों सहित संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / प्राधिकृत व्यापारी</p> <p>सी. कुल बिक्री [(ए) + (बी) +(सी)] इति शेष (ए+बी+सी)</p>					

हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार माह के दौरान किये गये सभी लेनदेनों का लेखा विवरण सत्य और सही है ।

स्थान:

दिनांक:-----

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

नाम:-----

पदनाम:-----

एफएलएम-8

(प्राधिकृत व्यापारी बैंक-II के लिए)

माह-----200 के दौरान फॉरेन करेंसी नोटों के क्रय और बिक्रय का सारांश
विवरण

प्राधिकृत व्यापारी बैंक-II का
नाम व पता -----

आरबीआई लाइसेंस नंबर -----

	अमरीकी डॉलर	जीबीपी	यूरो	येन	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें
<p>ए. अथ शेष निम्नलिखित से फॉरेन करेंसी नोटों की खरीद (ए) जनता से (बी) प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / आयातों सहित प्राधिकृत व्यापारी (सी) एजेंट और फ्रेंचाइजीज बी. कुल खरीद (ए) + (बी) +(सी)</p> <p>निम्नलिखित को फॉरेन करेंसी नोटों की बिक्री(प्रयोजन कूट सं. के साथ) (ए) (i) व्यवसाय यात्रा कोटा /(ii) निजी यात्रा (एस0302)</p> <p>(बी) (i) व्यावसायिक दौरा / (ii) व्यावसायिक यात्रा (एस0301)</p> <p>(सी) टूर ऑपरेटरों/ ट्रवल एजेंटों द्वारा समुद्रपारीय एजेंटों/ मुख्यों / होटलों को धनप्रेषण -(एस0306)</p> <p>(डी) फिल्म शूटिंगज (एस1101)</p> <p>(ई) विदेश में किये गये चिकित्सा</p>					

इलाज(एस0304)

(एफ) कर्मियों की मजदूरी का वितरण
(एस1401)

(जी) समुद्रपारीय शिक्षा (एस0305)

(एच) (i) वैश्विक सम्मेलनों और विशेषीकृत
प्रशिक्षण में सहभागिता के लिए शुल्क /
(ii) अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं / प्रतियोगिताओं
(प्रशिक्षण, प्रायोजकता और प्राइज मनी के
लिए) में सहभागिता के लिए धनप्रेषण/
(iii) विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक
गठजोड़ व्यवस्थाओं के तहत लिए धनप्रेषण/
(iv) भारत और विदेश में आयोजित परीक्षाओं
और जीआरई, टोफेल, आदि के लिए
अतिरिक्त अंक पत्रक के शुल्क के संबंध में
धनप्रेषण/ (v) विदेश में नौकरी के आवेदन
पत्रों के लिए नियोजन और
प्रसंस्करण,मूल्यांकन शुल्क / (vi) प्रवास करने
के इच्छुक व्यक्तियों के लिए प्रवीणता/
विश्वसनीयता मूल्यांकन शुल्क/(vii) विज्ञा
शुल्क/ (viii) पोर्तुगीज/ अन्य सरकारों द्वारा
यथा अपेक्षित दस्तावेजों के पंजीकरण के
लिए प्रसंस्करण शुल्क/
(ix) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पंजीकरण /
अभिदान/ सदस्यता शुल्क (एस1102)
(आई) उत्प्रवास शुल्क (एस1202)

(जे) उत्प्रवास परामर्श शुल्क (एस1006)

(के) निर्यातों सहित अन्य संपूर्ण मुद्रा
परिवर्तक / प्राधिकृत व्यापारियों को बिक्री

सी. कुल बिक्री (ए)+(बी)+(सी)+(डी) + (ई)+
(एफ) +(जी)+(एच)+ (आई)+ (जे)+ (के)

इति शेष (ए+बी-सी)					
-------------------	--	--	--	--	--

हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार माह के दौरान किये गये सभी लेनदेनों का लेखा विवरण सत्य और सही है ।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

नाम:-----

पदनाम:-----

संलग्नक-XII

[खंड V, पैराग्राफ 15 (ii) देखें]

माह-----200 के दौरान 10,000 तथा उससे अधिक अमरीकी डॉलर की खरीद लेन-देनों का विवरण

लेन-देनों की तारीख	फॉरेन करेंसी अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति का नाम व पता	राशि
		करेंसी/ यात्री चेक

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

-----200 को समाप्त तिमाही के दौरान निर्यात से हुई आय से फॉरेन करेंसी नोटों/ नकदीकरण किये गये यात्री चेकों के लिए भारत में खोले गये विदेशी मुद्रा खातों का संकलन दर्शाने वाला विवरण

खाते में अथ शेष	विदेशी करेंसी नोट/ निर्यातित नकदीकरण किये गये यात्री चेक	विदेशी करेंसी में वसूल की गई राशि	विदेशी करेंसी खाते के कॉलम 3 में जमा की गई की राशि	जिस संगठन को यात्री चेक बेचे गये उसके द्वारा जारीकर्ता संगठन को विप्रेषित राशि/ प्राधिकृत व्यापारियों से फॉरेन करेंसी खरीदने के कारण खाते को डेबिट किया गया	तिमाही के दौरान विदेशी करेंसी खाते में रही अधिकतम शेष राशि	विदेशी करेंसी खाते का इति शेष	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

प्रमाणित किया जाता है कि हमारे अभिलेखों के अनुसार ब्योरे सही हैं ।

प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता -----

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के अधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

----- को समाप्त वर्ष के दौरान बढ़े खाते डाली गई विदेशी करेंसी की राशि का विवरण

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II का नाम -----

ए. बढ़े खाते डाली गई कुल राशि (अमरीकी डॉलर के समतुल्य):-

बी. बढ़े खाते डाली गई कुल राशि के ब्योरे :-

क्रम सं.	बढ़े खाते डालने की तारीख	विदेशी करेंसी की राशि(हर करेंसी का अलग अलग ब्योरा)	बढ़े खाते डालने का कारण *	संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित
1.	2.	3.	4.	5
		कुल:		

* कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या जाली पाये जाने/ चोरी हो जाने/ मार्ग में खो जाने के कारण बढ़े खाते डाला गया है ।

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

इस मास्टर परिपत्र में मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप नियंत्रित करनेवाले अनुदेशों के ज्ञापन पत्र पर समेकित ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र	दिनांक
1.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 43 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 01]	12 नवंबर 2002
2.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.57 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 04]	9 मार्च 2009
3.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.06 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 01]	3 अगस्त 2009
4.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 17 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 04]	27 नवंबर 2009
5.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 18 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 01]	25 नवंबर 2010
6.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.20 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 03]	30 नवंबर 2010
7.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 24 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 05]	13 दिसंबर 2010
8.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 25 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 06]	22 दिसंबर 2010
9.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 27 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 08]	22 दिसंबर 2010
10.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 40 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 10]	25 जनवरी 2011
11.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 49 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 11]	06 अप्रैल 2011
12.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 51 [ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 13]	06 अप्रैल 2011
13.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 61	16 मई 2011
14.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 63	20 मई 2011
15.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 65	20 मई 2011